

तोमर का तमाशा : पेज-15

सांसद बने ग्राम प्रधान : पेज-22

लोक जागृति

वर्ष-5 अंक-6

जून 2015 मूल्य 15

पत्रिका

कानूनी मुद्दों पर मुखर बातचीत एवं सामाजिक जन जागरण का मासिक प्रकाशन



अच्छे दिन आए कया ?

आम आदमी के लिए न्याय है ही नहीं। गरीब निर्दोष होने के बावजूद दोषी करार दिए जाते हैं। वे खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते। पैसे वाले शातिर लोग महंगे वकीलों की फौज से हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं।



वी.एन. खरे, पूर्व न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट

जेल में जंगल राज पेज-26

LEGEAZY
INTERNATIONAL

FREEDOM OF LIFE

SIMPLIFY COMPLEXITY OF LAW

Get Hassle free Legal Support

Become a Member of Legeazy International
(Legal Help at an Affordable Cost)

SERVICES :-

- ◆ Personal Legal Assistance ,
- ◆ Commercial & Consumer Dispute ,
- ◆ Corporate , Income Tax And Service Tax Matters
- ◆ Regd. Of Company, Service Tax , Trust , Society , Trade Mark Etc.
- ◆ Property Documentation , Validation, Title Investigation And Advice ,
- ◆ Criminal And Civil Matters
- ◆ Builders Buyers Disputes
- ◆ Personal Family Disputes, Marriage Consultancy,
- ◆ Book Keeping / Accounting
- ◆ Claim And Settlement

Contact us

Legeazy International

Off. Add.: - 3A /95 ,Vaishali Ghaziabad, U.P. 201010

Mob. No.:- 9560522777, 9818161525, 9810960818

Email : legeazy@gmail.com | Website : www.legeazy.com

अनमोल

उठिएं- जल्दी घर के सारे, घर के होंगे पोबारे.
पीजिएं- दूध खड़े होकर, दवा पानी बैठकर.
छोड़िएं- अमचूर की खटाई, रोज की मिठाई.
सीखिएं- बड़ों की सीख, बुजुर्गों की रीत.
जाइएं- दुःख में पहले, सुख में पीछे.
परखिएं- चाहे सबको, छोड़ दे माता को.
सोचिएं- एकांत में, करे सबके सामने.
सुनिएं- पहले पराए की, पीछे अपनों की.
बोलिएं- जुबान संभालकर, थोड़ा बहुत पहचानकर.
भगाइएं- मन के डर को, बूढ़े वर को.
भूलिएं- अपनी बड़ाई को, दूसरे पर की भलाई को.
छिपाइएं- उम्र और कमाई, चाहे पूछे सगा भाई.
लीजिएं- जिम्मेदारी उतनी, संभाल सकें जितनी.
ब्याहिएं- ऐसी नार से, जो घर में रहे प्यार से.
खाइएं- दाल रोटी-चटनी, कितनी भी हो कमाई अपनी.
खिलाइएं- आए को रोटी, चाहे पतली हो या मोटी।

सवालों के घेरे में एफएसएसएआई

लोक जागृति ने पहले ही एक पीआईएल के माध्यम से एफएसएसएआई में हो रही लाइसेंसिंग प्रक्रिया की अनियमितता एवं गोरखधंधों के मामलों को उजागर कर चुका है। मैगी प्रकरण इसी का उदाहरण मात्र है। एनजीओ के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार मिश्रा ने मांग की है कि नेस्ले कंपनी के और भी उत्पादों की जांच कराई जाए। इसके अलावा अन्य फूड उत्पादों की जांच कराई जाए। जांच के बाद उन सभी खराब उत्पादों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस कार्य के लिए भले ही सरकार को कोई जांच कमेटी ही गठित क्यों न करनी पड़े। श्री मिश्रा ने बताया कि संस्था की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से ही इस संबंध में विस्तृत पीआईएल की जा चुकी है। सरकार से अनुरोध है कि देश के भविष्य को कमजोर करने वाले उक्त उत्पादों वाली कंपनियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाए।



लोकजागृति संस्था में कोई भी लेन देन चेक द्वारा ही मान्य होगा। नकद लेन देन की जिम्मेदारी लोक जागृति प्रबंधन की नहीं होगी। लोक जागृति संस्था के संबंध में कोई भी शिकायत 'लोक जागृति अनुशासन समिति' को देनी होगी जिसकी जांच उच्च न्यायालय के रिटायर जज द्वारा की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ संस्था प्रबंधन उचित कार्रवाई करेगा।

शिकायत का पता:- लोग जागृति अनुशासन समिति, IIIA/95 वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010

लोक जागृति संस्था का आह्वान

किसी भी प्रकार की कानूनी उलझन, कानूनी राय, सहायता के लिए हमारे पाठकवृंद लोक जागृति से सम्पर्क कर सकते हैं। संस्था आपको उचित सलाह दे सकती है कि आपकी उलझन किस तरह की है और यदि इसके निवारण के लिए कानूनी कार्यवाही की जरूरत है तो किस विधि के विशेषज्ञ की आपको जरूरत है। अपने सदस्यों के लिए निःशुल्क सहायता एवं गैर सदस्यों के लिए मामूली सहयोग राशि संस्था को देने पर सलाह दी जाती है। संस्था को दी गई ऐसी सहयोग राशि आयकर अधिनियम के 80 जी के तहत दाता के लिए 50 फीसदी तक करमुक्त रहती है।

VIKAS GUPTA

Handheld: +91-99999-01803

JAYANTH FINANCIAL



Deals in Financial
Services

Home Loan, Mortgage
Loan, C.C./O.D. Limits,
Project Loan &
Insurance

Email: jayanthfinancial@gmail.com

इन्सान की तीस गलतियाँ

- 1- इस ख्याल में रहना कि जवानी और तंदुरुस्ती हमेशा रहेगी।
- 2- खुद को दूसरों से बेहतर समझना।
- 3- अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझना।
- 4- दुश्मन को कमजोर समझना।
- 5- बीमारी को मामूली समझकर शुरु में इलाज न करना।
- 6- अपनी राय को मानना और दूसरों के मशवरे को ठुकरा देना।
- 7- किसी के बारे में मालूम हो फिर भी उसकी चापलूसी में बार-बार आ जाना।
- 8- बेकारी में आवारा घूमना और रोजगार की तलाश न करना।
- 9- अपना राज किसी दूसरे को बता कर उससे छुपाए रखने की ताक़ीद करना।
- 10- आमदनी से ज्यादा खर्च करना।
- 11- लोगों की तकलीफों में शरीक न होना, और उनसे मदद की उम्मीद रखना।
- 12- एक दो मुलाकात में किसी के बारे में अच्छी राय कायम करना।
- 13- मां-बाप की खिदमत न करना और अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना।
- 14- किसी काम को ये सोचकर अधूरा छोड़ना कि फिर किसी दिन पूरा कर लिया जाएगा।
- 15- दूसरों के साथ बुरा करना और उनसे अच्छे की उम्मीद रखना।
- 16- आवारा लोगों के साथ उठना बैठना।
- 17- कोई अच्छी राय दे तो उस पर ध्यान न देना।
- 18- खुद हराम व हलाल का ख्याल न करना और दूसरों को भी इस राह पर लगाना।
- 19- झूठी कसम खाकर, झूठ बोलकर, धोखा देकर अपना माल बेचना, या व्यापार करना।
- 20- इल्म, दीन या दीनदारी, को इज्जतन समझना।
- 21- मुसीबतों में बेसब्र बन कर चीख पुकार करना।
- 22- फकीरों और गरीबों को अपने घर से धक्का दे कर भगा देना।
- 23- जरूरत से ज्यादा बातचीत करना।
- 24- पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार नहीं रखना।
- 25- बादशाहों और अमीरों की दोस्ती पर यकीन रखना।
- 26- बिना वजह किसी के घरेलू मामले में दखल देना।
- 27- बगैर सोचे समझे बात करना।
- 28- तीन दिन से ज्यादा किसी का मेहमान बनना।
- 29- अपने घर का भेद दूसरों पर जाहिर करना।
- 30- हर एक के सामने अपना दुख दर्द सुनाते रहना।

हम अच्छे या वो

अमेरिका एक अमीर देश है। वहां के स्कूल साल के शुरुआत में बच्चों को किताबें देते हैं और साल के अंत में उन्हें वापिस जमा करा लेते हैं ताकि दूसरे बच्चे उनसे पढ़ सकें। भारत एक गरीब देश है लेकिन यहां हर साल पुरानी किताबें रद्दी के भाव बेचकर अभिभावकों को नई किताब खरीदने को विवश किया जाता है।

इसमें करोड़ों रुपयों की बर्बादी और लाखों पेड़ों की कटाई होती है। फिर पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में करोड़ों रुपए स्वाहा करते हैं। यह हमारे देश में शिक्षा के दलालों और सत्ता के कर्णधारों की अपराधिक नीचता और जनता की कुंभकरणी नींद का नतीजा है।

लोक जागृति
द्वारा जनहित में जारी

अंधा कानून



अमय कुमार चौधरी

मैं एक सच्ची घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जिसको हम अंधा कानून की कहानी कह सकते हैं। एक गांव में एक परिवार और उसके घर के सामने एक धोबी का परिवार रहता था, उसके सामने धोबी का परिवार उसके बीच में एक दिन शाम को पपीता के तोड़ने को लेकर झगड़ हो गया और इस झगड़े में धोबी के परिवार में एक की मृत्यु हो गई और एक गम्भीर रूप से घायल होगा और दोषी के परिवार वाले मारपीट करने के बाद आपने घर में घुस गये और इससे गाँव के लोग भड़क गये और दोषी के घर को घेर लिया कुछ पत्थर वाजी भी की उसके बाद पुलिस आयी और बाप, बेटा, और तथा कथित बदमाश जो उनके साथ हमेशा रहता था पकड़ कर ले गयी। उसके बाद दोषी के परिवार वाले वकील से सलाह मशविरा करके इस घटना को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए केस बनाने का षड़यंत्र किया और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत गाँव के पाँच-छः निर्दोष लोगों पर डकैती का केस कर दिया और कहानी यह बनाई कि लोग हमारे घर पर डकैती डालने आये थे जिसमें मारपीट हुई और उसमें हत्या होगी। लेकिन चूकि लोकल पुलिस को सारे तथ्यों की जानकारी थी तो वह एफआईआर नहीं दर्ज करती इस कारण 156(3)का सहारा लेकर न्यायालय से निर्दोष लोगों के खिलाफ डकैती का केस दर्ज करने का आदेश करवा लिया। लेकिन चूकि जिनके खिलाफ डकैती का केश दर्ज करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया था उस आदेश को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश करा दिया गया नहीं तो निर्दोष लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ती है और उसके बाद लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से अपने को निर्दोष सिद्ध कराने के लिए लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ती। और उसके बाद दोषी परिवार के दो लोग एक अन्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय ने दोषी माना और अजीवन कारावास की सजा सुना दिया है। अब प्रश्न उठता है ये हत्या के दोषी है लेकिन जिन निर्दोष लोगों को डकैती के केस में साजिश के ताहत फसाने का प्रायास किया गया अगर वह फस जाते तो उनकी तो जिन्दगी वेकार हो जाती है और ऐसे में न्यायालय द्वारा 156(3) के तहत बिना कोई जांच पड़ताल किये FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया जाता है दूसरे इसमें बिपक्षी को सुनने का कोई प्रॉवधान ही नहीं है।

चाणक्य नीति

चतुर और लालची इंसान कोई पहचान न होने पर भी घनिष्ठता में वृद्धि करने की चाहत रखता है। क्योंकि हर संबंध की एक समय सीमा होती है उसके बाद ही उस संबंध या मित्रता में रस आता है कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो एकदम से अत्यधिक निकट आने की कोशिश करता है तो समझो वो अत्यधिक लालची तथा चालाक है। इस तरह के इंसान आगे चलकर नुकसान करते हैं जो हानिकारक होती हैं। भाव ये हुआ कि किसी भी बाहरी संबंधों को समय सीमा में तोल कर परख कर ही उस संबंध को मित्रता या किसी रिश्ते का नाम दो।

संपादक

संतोष कुमार मिश्र (अधिवक्ता)

संपादकीय सहयोगी

सुरेश पाण्डेय

तेज सिंह यादव (अधिवक्ता)

महेन्द्र पाण्डेय (अधिवक्ता)

नरेन्द्र कुमार सक्सेना

अश्विनी मिश्र (अधिवक्ता)

गिरीश त्रिपाठी

एस.बी.एस. गौतम

विजय पाल सिंह

प्रमोद कुमार उपाध्याय (अधिवक्ता)

सत्येंद्र श्रीवास्तव

राहुल मिश्र

जगजीत सिंह

उपकार सिंह

कृष्ण कुमार पाण्डेय (अधिवक्ता)

राजेश कुमार मिश्र

तरुण गुप्ता

आनंद पाण्डेय (अधिवक्ता)

अनिल कुमार शुक्ला

रजनीश कुमार पाण्डेय

मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक

संतोष कुमार मिश्र

द्वारा आदर्श प्रिंटिंग हाउस बी 32 महिंद्रा
इंक्लेव शास्त्री नगर गाजियाबाद मुद्रित एवं
3ए 341 वैशाली, गाजियाबाद से प्रकाशित।

इस पत्रिका में छपे किसी भी लेख से
संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
किसी भी विवाद के निराकरण के लिए
गाजियाबाद न्यायालय पूर्ण क्षेत्राधिकार व

निर्णय मान्य होगा।

RNI NO.

UPHIN/2011/39809

सभी पद अवैतनिक एवं स्वतंत्र प्रभार के हैं।

साज साज्जा

A.N.R. Creation

9868632759



स मरथ के नहीं दोष गुसाई :- यह कहावत पूरी तरह से ठीक है यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो... भले ही आप में चाहे जो दोष हो पर आप दोषी नहीं कहे जाएंगे। तुलसीदास जी ने भी बहुत ही सोच समझ एवं परख कर उक्त पंक्ति लिखी होगी।

यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चरित्रार्थ है। जिसे आप समय-समय पर देखते सुनते आ रहे होंगे। इसी तरह से दूसरों को उपदेश देना भी बहुत आसान है परंतु अपने ऊपर उसी उपदेश को लागू करना भूल जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्वराज व लोकपाल इत्यादि की दुहाई देकर लोगों को टोपी पहनाई पर जब खुद कटघरे में खड़े होने की बारी आती दिखी तो न तो पार्टी में और न सरकार में दिखा लोकपाल स्वराज। इसी तरह केंद्र का भी यही हाल है। यही नहीं लोकतंत्र के जिस खंभे (मीडिया) के सहारे ये लोग उपर चढ़े, चढ़ने के बाद उसी खंभे को गिराने की कोशिश भी की। अशीष खेतान जी, मनीष सिसोदिया जी, आशुतोष इत्यादि भी उक्त खंभे के अंग रह चुके हैं और अब पार्टी के खेवन हार बने हुए हैं। ज्यादा समय तो नहीं बीता जब इसी मीडिया में बने रहने के लिए स्टेज पर पन्नों के साथ किसी का भी काला चिट्ठा लेकर आना महोदय की आदतों में शुमार होता था। अपने उपर लगी जिस भारतीय संहिता की धारा 499 व 500 को उच्चतम न्यायालय में असंवैधानिक घोषित कराने के लिए कह रहे थे, सत्ता में आने के बाद उन्हीं धाराओं का सहारा लेकर मीडिया पर पाबंदी जैसा सर्कुलर जारी कर दिया। भला हो न्यायपालिका का जिसने सर्कुलर को असंवैधानिक घोषित कर दिया। खैर अब बात करते हैं कार्यपालिका की। ताजा उदाहरण है दिल्ली के ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने घूस न देने पर एक महिला को ईंट दे मारी। इसके अलावा गिरी हुई दिल्ली पुलिस ने हद तो तब पार कर ली जब दिल्ली के एक होटल में स्पेशल सेल द्वारा फर्जीवाड़े के केस के आरा. पी को मुठभेड़ में मार गिराया। अब हम न्यायपालिका की बात करें तो हमारे माननीय न्यायाधीश भी इनकी बातों को या तो मानने के लिए मजबूर हैं या फिर उन्हें व्यवहारिकता का इतना पता नहीं होता कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था कितनी खराब स्थिति में है। विडंबना ही है कि देश के अनगिनत कानूनों का पालन कराने का काम ऐसी ही पुलिस पर है। मैं यह नहीं कहता की सारी पुलिस जमात कसूरवार है कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं और ईमानदारी से अपना काम करना भी चाहते हैं लेकिन इस बेईमानी के तालाब में वे भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ तो चुप हो जाते हैं और कुछ उसी तालाब में गोते लगाने लगते हैं। हां! हम यह सोच कर अपने आप में तसल्ली कर लेते हैं कि हम लोग अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, में नहीं पैदा हुये वहां तो और बुरा हाल है उसकी तुलना में यहां ठीक है। परन्तु आने वाला समय दिन प्रतिदिन संघर्ष वाला होगा और कहीं हम इराक सीरिया, अफगानिस्तान के देशों की कतार में खड़े होने तो नहीं जा रहे, जरा सोचें, डाकू बदमाश, हत्यारे, बलात्कारी सांसद बन जाते हैं लेकिन एक ईमानदार, पुलिस ऑफिसर किरण बेदी विधायक नहीं बन पाती यह हमारा प्रजातंत्र है। जनता जनार्दन है तो दोष आखिर में किस का। इन सब की जिम्मेदार भी हम लोग हैं। हम लोग सिर्फ यही आस लगाए बैठे हैं कि 'अच्छे दिन आने वाले हैं' लेकिन सेवाकर महंगा हो गया तो क्या हुआ, किसान गरीब का गरीब ही रहा तो क्या हुआ, मीडिल क्लास संघर्षरत है तो मुझे क्या...?



मोदी : सपनों को हकीकत में बदलने की कूवत



कपिल सिंघल

नरेन्द्र मोदी एक महान स्वप्नदृष्टा हैं, जिनके पास अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की उत्कृष्ट क्षमता है। उनका सर्वोच्च सपना भारत का उत्थान और कायापालट और अंततः अपनी मातृभूमि को एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारना है। भारत के लिए उनका सपना बहुत व्यापक है— जैसे कि आवश्यक रूप से कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, पर्यावरण की सुरक्षा, उद्योगों की जीवन रेखा के समान बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक निवेश। संक्षेप में कहें तो, एक ऐसे नए और प्रसन्न समाज का उदय, जो जीवन के अनंत उत्सव को मना रहा हो। मोदी सख्ती से काम लेने वाले और कड़े अनुशासक के रूप में माने जाते हैं, लेकिन साथ ही, वे शक्ति और दया के प्रतीक भी हैं।

ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें समाज को घेरे अंधेरे, उदासी और गरीबी से बाहर निकालने तथा संपूर्ण मानव विकास और प्रगति के माध्यम के रूप में शिक्षा पर बहुत विश्वास है। वे शिक्षा के प्रसार पर जोर देते हैं, खासकर लड़कियों की शिक्षा, जिसकी अब तक काफी हद तक उपेक्षा की गई है।

शिक्षा के लिए नरेन्द्र मोदी का प्रेम शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान और कन्या शिक्षा योजनाओं में प्रकट होता है, जो उनके दिल के बहुत करीब है और ठीक बुनियादी स्तर पर प्रबुद्धता और सशक्तीकरण के युग में प्रवेश करवाती है। आपको ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलेंगे जो दूरदराज के गाँवों में डेरा डाले हुए, गर्मी और धूल में, माता-पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करते हों?

टेक्नोलॉजी और विज्ञान में गहन रुचि के कारण नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को एक ई-शासित राज्य का रूप दिया है और तकनीक के कई प्रयोजनों को बढ़ावा दिया है। 'स्वागत ऑनलाइन' और 'टेली फरियाद' ऐसी पहल हैं जिनकी वजह से ई-ट्रान्स्पेरेंसी (पारदर्शिता) आई है और आम नागरिक भी प्रशासन के सर्वोच्च कार्यालय का सीधे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो आम आदमी की शिकायतों को इतना ध्यान से सुनते हों और यह सुनिश्चित करते हों कि उनकी समस्याएँ एक निश्चित समय सीमा में हल हो जाएँ।

मोदी एक प्रबल आशावादी होने के साथ-साथ, वास्तववादी और आदर्शवादी दोनों हैं। उन्होंने एक बहुत उच्च दृष्टिकोण को आत्मसात किया है कि 'विफलता नहीं, लेकिन निम्न लक्ष्य एक अपराध है'। वे स्पष्ट दृष्टिकोण, उद्देश्य के तात्पर्य और सतत परिश्रम को जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए आवश्यक गुण मानते हैं। उनके मन में अपनी भूमि और लोगों के लिए चिंता सबसे अधिक होती है।

सफलता का राज

नरेन्द्र मोदी ने 2014 के चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। भाजपा ने मोदी को चेहरा बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। प्रचार के दौरान मोदी ने धुंआधार सभाएं कीं। उनके प्रचार की आक्रामक शैली ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। बच्चों से लेकर बुरुज तक की जुबां पर एक ही नाम था— 'मोद'। सभाओं में उमड़े जनसैलाब ने बता दिया कि मोदी के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का जादू आज भी बरकरार है। अब मोदी का यह जादू दुनियाभर में सर चढ़कर बोल रहा है। आइए जानते हैं नरेन्द्र मोदी के इन खास गुणों को—

1. असाधारण भाषण कला : मोदी की सबसे बड़ी और असाधारण बात उनकी भाषण कला है और वे अपनी इस कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना जानते हैं। विकास और अन्य



मुद्दों पर वे जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं कि बिना किसी तैयारी के उनका भाषण भी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देश के अन्य नेताओं की तरह से लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं। उनकी विशेषता है कि वे अपनी वाक शैली से किसी भी प्रकार के श्रोता वर्ग से अपना संबंध बना लेते हैं।

2. करिश्मा : प्रधानमंत्री मोदी की एक और बड़ी खूबी है कि वे किसी विश्वस्तरीय नेता जैसा करिश्मा रखते हैं। उनका व्यक्तित्व मजबूत है और देश के ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही प्रधानमंत्री देखे हैं जो कि लोगों के सामने से अदृश्य रहते रहे हैं। देश के 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की नजर में वे ऐसे मजबूत नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है।

3. त्वरित निर्णय क्षमता : मोदी की एक खूबी यह भी है कि वे तुरंत ही निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। यह क्षमता भारत के नेताओं में बहुत कम पायी जाती है और इस कारण से उन नेताओं से अलग हैं जोकि किन्हीं मजबूरियों के चलते फेसले नहीं लेते या लेने में बहुत अधिक समय लगा देते हैं। वे निर्णय लेने के बारे में नो नन सेंस अप्रोच रखते हैं और इस निर्णयों पर तुरंत क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना जानते हैं।

4. स्पष्ट दूरदृष्टि : मोदी का एक सकारात्मक गुण यह है कि उनकी दूरदृष्टि या विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। उनकी इसी दूरदर्शिता और स्वप्न का नतीजा है कि उन्होंने गुजरात को विकसित करने के लिए तब विदेश यात्राएं कीं जब वे एक मुख्यमंत्री ही थे। अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया कि भारत का आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और दुनिया में अपना प्रभाव कायम करने की क्षमता विकसित होगी।

5. मजबूत समर्थन का आधार : प्रधानमंत्री के साथ एक और खूबी यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर राजग के प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित होने तक मोदी की अपनी ही पार्टी में स्पष्ट मास अपील थी। उनकी पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े रहे और इसी तरह के समर्थन के बल पर उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज को पीछे छोड़ा और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी

हासिल की थी।


6. अनुशासित जीवन : देश के पंद्रहवें प्रधानमंत्री ने हमेशा ही एक अनुशासित जीवन जिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बालस्वयंसेवक बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक उनका जीवन अनुशासित है। यह बात बताती है कि जो दृढ़ निश्चय वे एक आठ वर्षीय बालक के तौर पर रखते थे वही दृढ़ निश्चय और अनुशासन उनमें 64 वर्षीय प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है।

7. एक असाधारण योजनाकार : यह उनकी ऐसी खूबी है जोकि उन्हें उन लोगों में शामिल करती है जो कि बहुत अच्छी और कुशलता से बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनाते हैं। इसका उदाहरण उनके चुनाव प्रचार से मिलता है। मोदी ने 3.5 लाख किमी से ज्यादा की यात्राएं कीं और इस दौरान 400 रैलियों को संबोधित किया। वे ऐसे क्षेत्रों में गए जहां पर आमतौर पर लोग जाना नहीं पसंद करते। लेकिन उनकी कुशल योजनाओं के बल पर ही वे बेहतर परिणाम हासिल कर सके।

8. तकनीक के प्रति रुझान : मोदी एक टेकसेवी व्यक्ति हैं और वे खुद को तकनीक के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से अपडेट रखते हैं। अपने जीवन में वे घटनाओं के बारे में तुरंत ही ट्वीट पोस्ट करते हैं। वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनकी फेसबुक तस्वीर को बदला गया है या नहीं। उनसे हम सीख सकते हैं कि तकनीक के प्रति रुझान क्या होता है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है।

9. फिटनेस के प्रति सतर्कता : मोदी योग के बहुत बड़े अनुगामी हैं और वे इसे करना कभी नहीं भूलते। भले ही वे कितने ही व्यस्त हों लेकिन उनके योगाभ्यास में कभी बाधा नहीं आती है। शायद इसी कारण से वे इस उम्र में भी इतने सक्रिय और फिट हैं। उनकी यह सतर्कता सभी को प्रेरित कर सकती है।

10. उत्साह से भरा जीवन : अपनी उम्र के 64 वर्ष होने के बावजूद नरेन्द्र मोदी अपने जीवन को प्रतिदिन उत्साह से जीते हैं। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपनी जापान यात्रा के दौरान ड्रम बजाया था और शिक्षक दिवस पर बच्चों के सवाल का जवाब दिया था। उनके व्यक्तित्व में उत्साह की कमी कभी नजर नहीं आती है।



साल की कीमत उस शख्स से पूछिए, जो फेल हुआ हो...
महीने की कीमत उससे पूछिए, जिसे पिछले महीने तनखाह न मिली हो...
हफ्ते की कीमत उससे पूछिए, जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो...
रोटी की कीमत उससे जाने, जो दिनभर से भूखा हो...
घंटे की कीमत उससे पूछे, जिसने किसी का इंतजार किया हो...
मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछे, जिसने ट्रेन मिस की हो...
सेकेंड की कीमत उससे जाने, जो दुर्घटना से बाल-बाल बचा हो...

आम आदमी के लिए न्याय है ही नहीं। गरीब निर्दोष होने के बावजूद दोषी करार दिए जाते हैं। वे खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते।

पैसे वाले शातिर लोग मंहगे वकीलों की फौज से हारी हुई बाजी भी जीत लेते हैं।

वीएन खरे
पूर्व न्यायाधीश
सुप्रीम कोर्ट



उपकार सिंह

अच्छे दिन आ गए क्या ?

अच्छे दिनों का ये जुमला दरअसल इतना घिस चुका है कि इसे शीर्षक के रूप में इस्तेमाल करते हुए थोड़ा उदासी का भाव आ जाता है। पर क्या करें पिछले साल की तपती गर्मी में तपा और उछला ये नारा अब तक गरम बना हुआ है। "अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं" ये गूँजा ही इतनी जोर-शोर से था कि आकलन भी इसी को आधार बनाकर होगा। आपने कहा अबकी बार मोदी सरकार, जनता ने कर दिया। आपने कहा कि मोदी सरकार आने से अच्छे दिन भी आएँगे। सो अब आकलन का आधार तो ये अच्छे दिन बनेंगे ही।

अच्छे दिनों पर सीधे और लगातार प्रहार इसलिए भी होते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही विषयनिष्ठ मामला है यानी "सब्जेक्टिव" है। इसके कोई तय पैमाने नहीं हैं। ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी पैथॉलोजी लैब में जाकर जाँच करा लें और पता लगा लें कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए? ना केवल समाज के हर वर्ग के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए अच्छे दिन के मायने अलग-अलग हैं। ये भी बहुत संभव है कि आप पूछने निकलो तो लोग ठीक से ये ना बता पाएँ कि उनके लिए अच्छे दिन का मतलब क्या है। ये भी होगा कि लोग आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और। सो अच्छे दिन को लेकर ये बवाल तो मचा ही रहेगा।

बहरहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी अपनी सरकार के एक साल पूर्ण होने पर मथुरा रैली में अपने एक घंटे के धाराप्रवाह भाषण में भी इसी नारे के साथ ही अपना आकलन किया है। अलग ये था कि उन्होंने बजाय ये कहने के कि अच्छे दिन आ गए हैं ये कहा कि बुरे दिन चले गए हैं। निश्चित ही अगर अच्छे दिन आ जाएँगे तो बुरे दिन चले ही जाना चाहिए। पर क्या सच में बुरे दिन चले गए हैं? और क्या सच में समूचे भारत के लिए एक साथ बुरे दिनों का चले जाना और अच्छे दिनों का आ जाना संभव है? मोदी जी के बाकी तमाम नारों जैसे स्वच्छता अभियान या डिजिटल इंडिया का तो फिर भी वस्तुनिष्ठ आकलन हो सकता है पर इस अच्छे दिन के लिए तो वर्गवार, व्यक्तिवार आकलन गंभीर मसला हो सकता है। हम किसी बड़े दार्शनिक सिद्धांत या


दृष्टांत का हवाला ना भी दें तो भी रोटी, कपड़ा और मकान को इंसानी जरूरत माना गया है। आज के समय में बुनियादी जरूरतें इससे भी ऊपर जा चुकी हैं पर ये तो बनी हुई हैं और सर्वमान्य हैं। अर्थव्यवस्था के पेचीदा आँकड़ों में पड़े बगैर हम बहुत संक्षेप में ही इनको देख लें।

रोटी से आशय यह है कि कोई पाँच सितारा होटल में दो लोगों के लिए दस हजार रुपए का बिल चुका रहा है और कोई 20 रुपए में बड़ा पाव खा रहा है। ठीक है जिसके पास है वो खर्च कर रहा है। पर आकलन इस आधार पर होगा कि घर में भोजन की थाली के क्या हाल हैं। दाल फिर 100 रुपए किलो है और सब्जियाँ 40-50 रुपए किलो से ऊपर। अगर आपको खुद रोज हरी सब्जी खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है तो बहुत अच्छे दिन तो नहीं हैं।

कपड़े से तन तो हर कोई ढँक लेता है। चीथड़े से या लुई फिलिप से। पर हाँ जिसे अच्छे कपड़े पहनने की आस है और वो शो रूम के बाहर टकटकी लगाए खड़ा है तो फिर उसे अच्छे दिनों का इंतजार करना पड़ेगा।

मकान ये गंभीर और पेचीदा मसला है। यहाँ बहुत हताशा और निराशा है। खुद के लिए एक अच्छा मकान अगर 15 साल पहुँच से बाहर था तो आज भी है। जमीन के दाम भी आसमान छू रहे हैं और मकान के भी। मदीवाड़ा है तो वो बेचने वाले के लिए। प्रॉपर्टी के कारोबारी के लिए। आम आदमी के लिए घर तो सपना ही है। घर इतने भयानक महँगे हो गए हैं और ऐसी-ऐसी कारीगरी हुई है जमीन को लेकर कि यहाँ तो पैर समेटा ही नहीं जा सकता। पर किसी के पास चार मकान और दो फ्लैट हैं और कहीं जिंदगी किराए के मकान में कट रही है।

इसके अलावा किसी भी समाज की रीढ़ माने जाने वाली दो और बुनियादी जरूरतों को देख लेते हैं। ये हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों ही मामलों में पिछली सरकारें ही नहीं एक देश के रूप में भारत भी बुरी तरह विफल हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ दोनों ही इतने महँगे हो गए हैं कि उच्च वर्ग के भी पसीने छूट जाते हैं। आम आदमी की तो बिसात ही क्या? ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मामलों में जनता को पैसे के भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया हो।



ग्राफिक्स : शांकर, काय

मोदी सरकार का एक साल का रिजल्ट हरेक को 15 लाख का वादा सबसे बड़ी भूल

कैसी है सरकार?

38% ने इसे बताया-
सूट-बूट की सरकार

61% ने कहा-
सूझ-बूझ की सरकार

74% युवाओं ने
द. भारत में की तारीफ

कैसे हैं मोदी?

35% युवाओं ने कहा
तानाशाह हैं मोदी

49% द. भारतीयों के
लिए **मोदी डिक्टेटर**

56% को मेक इन इंडिया
नहीं, **मोदी पर भरोसा**

कितना यकीन?

43% युवा मानते हैं
कालाधन रोका गया

66% युवा बोले-
नौकरियाँ नहीं बढ़ीं

56% ने कहा-
महंगाई भी नहीं घटी

देशभर के 22
शहरों और 78
गांवों से ली गई
युवाओं की राय

52% युवाओं को
लगता है मोदी बदले की
राजनीति नहीं करते

चारज फ्रेम होने पर शुरू होता है ट्रायल



प्रमोद उपाध्याय

वारदात के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता एसके मिश्र के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 157 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर उसकी कॉपी संबंधित मैजिस्ट्रेट की आदालत में भेजी जाती है। तब जांच शुरू होती है। मामले में 10 साल से कम की कैद का प्रावधान हो तो सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना ज़रूरी है। 10 साल से ज्यादा सजा के मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, वरना आरोपी को जमानत मिल जाती है। सबूत नाकाफी हों तो क्लोजर रिपोर्ट तैयार की जाती है, पर फेसला अदालत का होता है।

गुनाह कबूल नहीं तो ट्रायल

अदालत जांच एजेंसी की फाइनल रिपोर्ट पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को समन जारी करती है। आरोपी को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है और ट्रायल से पहले की सुनवाई शुरू होती है। मामले में सात साल तक सजा का प्रावधान हो तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट

खुद ही सुनवाई करता है। अगर ज्यादा सजा का प्रोविजन है तो मामला सेशन कोर्ट को भेज दिया जाता है। सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट आदेश जारी करता है। आरोपी या तो आरोपमुक्त होता है या



फिर आरोप तय किए जाते हैं। अगर आरोपी गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त उसे सजा सुना दी जाती है। लेकिन गुनाह कबूल न करने पर आरोपी को ट्रायल का सामना करना होना है। ट्रायल के दौरान पहले सरकारी पक्ष के गवाहा के बयान होते हैं। फिर आरोपी का बयान दर्ज किया जाता है। उसके बाद आरोपी की ओर से गवाह पेश किए जाते हैं। तमाम गवाहों के बयान और तर्क के

आधार पर दोनों पक्षों के वकील अंतिम जिरह करते हैं और उसके बाद फेसला सुनाया जाता है।

सेशन कोर्ट फेसले को हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने का प्रोविजन है। इस दौरान हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने दोनों पक्षों के वकील दलील पेश करते हैं। हाई कोर्ट में दोबारा गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज नहीं किए जाते। हाई कोर्ट के फेसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) लेनी ज़रूरी है। एसएलपी दाखिल होने पर दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होता है। इसके बाद समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील मंजूर कर ली गई है।

सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद उसी बेंच के सामने रिव्यू पिटिशन दाखिल की जाती है, जिसमें याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से फेसले पर फिर से विचार की गुहार लागाता है। रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने का प्रोविजन है। इसमें फेसले के लीगल पहलुओं के बारे में दलीलें पेश की जाती हैं।

अपराधी सबसे पहले छोटा अपराध करता है

अपराध का एक मुख्य कारण अशिक्षा एवं प्रशासन की निष्क्रियता भी है अगर प्रशासन सजग हो तो कोई भी अपराध होने के पहले ही रोका जा सकता है या फिर अपराध छोटे स्तर पर ही रोका जा सकते हैं इससे एक तो अपराध कम होंगे और लोगो को कानून का डर भी बना रहता है और सामाजिक तानाबाना भी ठीक से रहेगा। लोगो में अपराध करने की प्रवृत्ति में भी कमी आती है। कोई भी अपराधी सबसे पहले छोटा अपराध करता है और उसके बाद धीरे-धीरे बड़े अपराध करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि अपराधी को यह आभास होने लगता है कि वह

कोई अपराध कर ही नहीं रहा है। किसी भी अपराध के सम्बन्ध में अपराधी के साथ-साथ समाज एवं देश कोभी नुकसान होता है, पूरा परिवार, हित मित्र, बच्चे आदि पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में अपराध को बढ़ाने एवं होने में महत्वपूर्ण योगदान पुलिस एवं कानून व्यवस्था का भी है। पुलिस अपना काम सही तरीके से न करने के कारण कभी-कभी अपराधी छूट जाते हैं और सही आदमी पकड़ लिए जाते हैं ऐसी अवस्था में अपराधी का मनोबल बढ़जाता है और सही आदमी अपराध की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है।

दिल्ली में वृद्धावास्था पेंशन में घोटाला

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के वृद्धावास्था पेंशन में काफी घोटाला हो रखा है इसमें 40 से 45 वर्ष तक के लोगो को पेंशन दी जा रही है साथ में नौकरी भी करते हैं उन्हें भी पेंशन दी जा रही है अनिल कुमार शुक्ला द्वारा कई वार जनसूचना अधिकार द्वारा सूचना मांगने पर भी सूचना नहीं दी जा रही है। कागजों में गडबड़ी करके वृद्धों के हक को मारा जा रहा है जिसे जरूरत है उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है। उल्टे यह युवाओं को वृद्ध दिखा कर उन्हें पेंशन दी जा रही है।

जन सूचना अधिकार 2005 हमारे देश के जनहित में

पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कानून और नागरिकों का एक मौलिक अधिकार भी है। किन्तु सरकारों द्वारा इस कानून को बेअसर करने के लिए सारी जोर आजमाइश की जाती है यहाँ तक जनसूचना अधिकारियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि सूचना न देने क्या-क्या बहाने हो सकते हैं सही सूचना न देकर जनता को किस तरह गुमराह किया जाए। सूचना मांगने वालों को वह सूचना न दी जाए जिससे वह कोई निर्णय पर पहुँच सके। सूचना मांगने वाले से सूचना तैयार कराने के नाम अलग से कुछ रकम माँग ली जाय इत्यादी। कुछ भ्रष्टाचारी विभाग तो सूचना देते ही नहीं कहते हैं जाओ अपील करो मैं जुर्माना दे दूँगा लेकिन सूचना नहीं दूँगा। अब हालत यह हो गयी है सुशासन देने वाले प्रधानमंत्री की पत्नी को देश के मुख्य सूचना आयुक्त का पद वर्षों से खाली पड़ा है।



**सूचना का
अधिकार
RIGHT TO
INFORMATION**



मुकेश गुप्ता

1- सरकारी कम्पनी का माहौल बहुत खराब हो गया है। कि समस्त अधिकारियों के बीच रोष व्याप्त है और जिससे

**जो काम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं कर
सके वह ग्राम प्रधान ने करवा दिया**

गोण्डा के ग्राम हरखूपुर के मौजा चंदीपवा में रोड सम्बन्ध में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री एवं मंत्री तक सौकड़ों प्रार्थनापत्र दिया गया परन्तु पत्र व्यवहार के अलावा एक ईट भी सड़क के नाम पर नहीं बनाई गई उससे कही ज्यादा पैसे पत्राचार में खर्च हो गये उसके बाद एक जनसूचना मांगने पर गाँव के प्रधान ने गाँव से मुख्य सड़क तक ईटों की रोड बनवा दी जिससे कम से कम गाँव के लोग बीमार लोगों को अस्पताल तो ले जा सकेगे, मैं ग्राम प्रधान, सचिव को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

की कुछ लाभार्थियों की वजह से कम्पनी की छवि को छति पहुँच रही है। भ्रष्ट अधिकारी को एक या दो वर्ष के अन्तराल में पदोन्नति दे दी जाती और जो अधिकारी इस भ्रष्ट प्रणाली पर तालमेल नहीं बनाते हैं उनको 7-8 वर्षों तक प्रमोशन से वंचित रखकर प्रताड़ित अधिकारी को Remote में Location Posted कर दिया है जो कि कम्पनी के Transfer Policy और Promotion Policy का खुला उल्लंघन है। जो अधिकारीगण पर भ्रष्टाचार के आरोप और एफ आईआर तक दर्ज है उन लोगों को पदोन्नति दी गई।


कलयुग में जमीन एवं कमीन के पास पैसा होगा

और देखा भी गया है कि जमीन के खेल से यादव सिंह और अरुण कुमार मिश्रा जैसे लोग हमेशा याद किये जाते रहेगे। अरुण मिश्रा के भ्रष्टाचार का तरीका यह था कि वह भूमि की निलामी उस समाचार पत्र में विज्ञापन देते थे जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में छपता हो और उसका साइज और जगह भी ऐसी होती थी लोगों का ध्यान न जाता हो और इससे वह अपने चहेतों को भूमि आवंटित कर देते थे। और इससे आगे निकल कर यादव सिंह बिना विज्ञापन दिये ही प्लॉट दिया फार्म सिर्फ उन्ही लोगों को दिया गया जिसे प्लॉट देना था। विकास प्राधिकरण का नाम विनाश प्रधिकरण कर देना चाहिए जैसे योजना आयोग का नाम बदल दिया गया। यहाँ घपला करने का एक तरीका यह भी है कि इंजीनियर द्वारा पॉच विल्डरो को चुन लिया जाता है और उससे तय कर लिए जाता है कि सभी को एक-एक प्लॉट दे दिया जायेगा और वह सभी सिर्फ दिखावे के लिए नीलामी प्रक्रिया में सभी पॉचो भाग लेगे और जिसको जो दर निर्धारित किया जाता। उसी पर किसी प्लैट को लेने के लिए आप जाए तो इतनी चीज बता देते हैं जिसको कि आप अब तक सुने ही नहीं होंगे। पीएलसी, ईडीसी, आईएफएम इत्यादि इसके बाद बेचने पर एनओसी पूरी तरह से शोषण एवं गुंडागर्दी और सुनने वाला कोई नहीं। जनसूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना नहीं मिल रही है। इसी का परिणाम यह हुआ कि खरीदार बाजार से गायब हो गया। बाजार में मंदी का दौर चालू है।

शमशान की शान

शमशान प्रवेश द्वार है
जीवन का रविवार है।
आना कहीं से होता है
जाने का यही इंतजार है।।
मुत्तु मंदिर शमशान है
जीवन का अंतिम ज्ञान है।
एक मुट्ठी राख बनना यहां
सत्य प्रकट यही महान है।।
जीवन में बोला कभी न राम
राम नाम यही होता आराम।
एक क्षण का वैराग्य फूटे यहां
गूँजे शमशान में सत्य राम।।
दुखी सुखी दोनों यहां
अमीर गरीब यहां एक समान।
बस चिंता में ही अंतर जरा
स्वीकार शमशान सभी समान।।
शमशान भयावह या तीर्थ हो
जल रही चिंता या शांत हो।
संदेश एक ही देता ये
आत्म अवनशी देहांत हो।।

बिना जड़ का वृक्ष है 'आप'




सर्तेंद्र मिश्रा

आम आदमी पार्टी अब एक खास आम आदमी पार्टी केजरीवाल एण्ड कम्पनी की पार्टी है उसमें जो भी व्यक्ति कुछ प्रभावी होगा उसे निकाल दिया जाएगा बिना जड़ व आधार वाले लोग ही इस पार्टी को चलाएंगे जो श्री अरविन्द केजरीवाल की चरण वन्दना करेंगे। यह बागीचा उस माली का है जो बिना जड़वाले पौधे लगाता है यदि कोई पौधे पेड़ बनने की कोशिश करने लगता है तो उसकी पहले तो उसकी टहनियों को काटा जाता है फिर भी न माने तो पूरा जड़ से

जड़ें काफी फैली हुई और अन्दर तक है तो सर्वप्रथम उन्हें उपयोग करके साइड लाइन किया गया। उसके बाद अग्निवेश जी की बारी आई। अन्ना हजारे से अलग विचार धारा के नाम पर पार्टी बनाई और उनको अलग होने को मजबूर कर दिया गया। उनका विरोध नहीं कर सके क्योंकि जनता केजरीवाल का साथ छोड़ देती। किरण बेदी जी को भी साइड लाइन किया गया क्योंकि एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब बारी आती है शाजिया इल्मी की। इल्मी भी एक पत्रकार रही हैं और मुसलिम चेहरा भी थीं। इस कारण उनकी जड़ें अपने आप बढ़ रही थीं। जाहिर है इनकी बढ़ती जड़ें आकाओं को नहीं सुहाई। अब बारी थी बाबू बिन्नी की। इनकी पहले से ही जड़ें मजबूत थीं सो इन्हें कैसे छोड़ा जा सकता था। इसी तरह अनगिनत नाम हैं जो आम आदमी पार्टी में आए तो जरूर लेकिन अपना वजूद नहीं बना सके। ये बातें तो पहले राउंड की थी अब बात करते हैं दूसरे राउंड जब हंटर ने फिर अपना चाबुक घुमाया। इस बार तो हद हो गई जब चाबुक की चोट पार्टी के संस्थापक सदस्य और पार्टी के थिंक टैंक पर ही पड़ गई। आपको बता दें संस्थापक सदस्य से मतलब है शांतिभूषण और प्रशांत भूषण और थिंक टैंक से आशय है योगेन्द्र यादव। अब चुनाव के बाद अच्छा जनाधार मिल गया तो प्रशान्त भूषण एवं योगेन्द्र यादव पर यह कार्यवाही होनी ही थी क्योंकि यह योग्य एवं इनकी जड़ें काफी गहरी हो रही थी बस समय का इन्तजार था समय आ गया काम हो गया। अब रही बात श्री विश्वास जी जो योग्य भी हैं और जड़ें भी पकड़ रहें। इन पर भी कभी भी कहीं भी समय को देखते हुये कार्यवाही हो सकती है विश्वास जी भी समय की तलाश में है यदि दिल्ली में हार होती तो जल्द ही कुछ नया कर जाते लेकिन अब दोनों लोगों को समय का इन्तजार करना होगा। हाँ केजरीवाल के जो मुख्य साथी है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गोपाल राय ये लोग बिना केजरीवाल के जड़ पकड़ नहीं सकते हैं और यही तीन चार लोग हैं जो केजरीवाल की टीम हैं बाकी सब उस बाराती की तरह हैं। इन्दिरा जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब वह कोई पेड़ सुबह लगाती थीं तो शाम को उसे उखाड़ कर देखती थीं कि वह कहीं जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। सफल राजनेता की यही पहचान होती है।

जरा आप सोचिए यदि केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई थी तो जो लोग छोड़ कर गये वह न गये होते तो क्या होता यदि शुरू से अभी तक सब साथ होते जैसे बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, शाजिया, विनोद बिन्नी इत्यादि - पार्टी के संयोजक अन्ना या रामदेव या अग्नि वेष जी होते मुख्य मंत्री बनाने में दिक्कत होती साथ में मंत्री भी बनाने में बहुत सारे झमेले होते लेकिन जड़ पकड़ने वाले सभी को साइड में करके अपने हिसाब से मन्त्रिमंडल विस्तार पद इत्यादि दे कर स्वयं बने रह गए और पूरी पकड़ बनी हुई है। सिर्फ सब को प्रयोग किया काम हो गया छोड़ दिया। यही प्रशांत भूषण, और योगेन्द्र यादव को चुनाव के पहले क्यों नहीं निकाला गया। दिमाग हो तो केजरीवाल जैसा जो भाजपा को चारो खाने चित कर दिया कांग्रेस का सफाया कर दिया।



उखाड़कर फेंक दिया जाता है। इस पर एक-एक करके बात करते हैं सर्वप्रथम जब केजरीवाल और लोकपाल को कोई नहीं जानता था तब रामलीला मैदान में एक छोटी सभा हुई थी उसमें केजरीवाल, किरण बेदी, शान्ति भूषण, प्रशांत भूषण, राम जेठमलानी इत्यादि लोग मौजूद थे। इस सभा का आयोजन का खर्च स्वामी रामदेव जी ने किया था और उनके स्वयंसेवक भी इसे सफल बनाने में लगे हुए थे। श्री केजरीवाल ने सर्वप्रथम शुरुआत बाबा के पैसों से की और उनका जनाधार भी बढ़ा या वह एक ऐसे वृक्ष है जिसकी



सभी न्यायालयों व कार्यालयों में कामकाज की भाषा भारतीय भाषा हो

**अश्विनी मिश्र
(अधिवक्ता)**

भारत भाषाओं व बोलियों का देश है। जहां यह कहावत प्रच.

अपनी बात अपनी भाषा में उचित स्थान पर कह पाए। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियां हैं:-

**जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है,
नर नहीं वह पशु निरा है और मृतक समान है।**

लित है कि:-

**“कोस-कोस पर बदले पानी,
तीन कोस पर बदले बानी”**

अब वाणी में में इतना बदलाव तो यह इच्छा भी स्वाभाविक है कि हर कोई अपनी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में करना चाहेगा, किन्तु यदि उस पर अन्य भाषा थोप दी जाये तो मस्तिष्क पर बोझ तो पड़ेगा ही जो अभिव्यक्ति किया जायेगा उसमें हृदय के उद्गार प्रकट नहीं हो सकते, मात्र खानापूर्ति होगी कहने का मूल तात्पर्य यह है कि अपनी भाषा-बोली में कार्य करना सरल सहज है साथ ही मान भी सुरक्षित रहेगा कि

तो भारत मायने इंडिया क्यों ? भारत ही क्यों नहीं ? हम भरतवंशी हैं और समस्त भारतीय भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं यहां न्यायालयों में काम काज की भाषा पूर्णतः अपनी भाषा ही होनी चाहिए।

वस्तुतः यदि किसी भी राष्ट्र का पतन करना है तो उसकी भाषा बिगाड़ दें वह समस्त राष्ट्र स्वतः पंगु हो जायेगा और वह पंगुता केवल एक पीढ़ी तक ही नहीं चलेगी बल्कि कई पीढ़ियां

इस पंगुता से पीड़ित हो जायेगी। जैसा कि भारत में हुआ। यहां अंग्रेजी भाषा के द्वारा अंग्रेजीयत थाप दी गयी पर कश्मीर के लोग कश्मीरी, गुजरात के लोग गुजराती, पंजाब के पंजाबी इसी तरह असमी, उड़िया, बंगला, मलयालम, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं में अपने को व्यक्त करने के लिए छटपटाते रहे और न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गयीं। समय बदला भारत स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र भी हो गया पर भाषा की परतंत्रता यथावत रही। समय बीतता रहा है पर छटपटाहट उतनी ही है कहीं -कहीं तो निराशा ही छा गयी, आज भारत का एक बड़ा वर्ग जिस पर भारत मां को गर्व हो सकता था परन्तु भाषाई पंगुता के कारण अपनी ही भाषा को भूल बैठा है और मानसिक भाषाई पंगुता का शिकार है। अपनी नौनिहालों की कमजोरी से भारत माता व्यथित हैं और माता के पुत्र इस पंगुता को ही अपनी नियति मान बैठें हैं अपनी निजता को भूले बैठें हैं। प्रत्येक व्याधि का उपचार होता है परन्तु इच्छा शक्ति तो स्वयं जागृत करनी होती है क्योंकि स्वस्थ होने की इच्छा शक्ति ही न हो तो कोई चिकित्सक किसी भी रोगी को स्वस्थ नहीं कर सकता। कोई पीड़ित अपनी समस्या से मुक्त नहीं हो सकता। भाषाई पंगुता का रोग जो महामारी के रूप में भारत में फैल गया है जहां बहुत से अधिकारी अपनी मातृभाषा छोड़ परदेशी भाषा में काम करने, बात करने को ही अपना गौरव मान बैठे हैं। अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा के गौरव को भुल गये हैं। वे श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी को भूल गये कि :-

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल

अपनी मातृभाषा को सादर नमन इस विश्वास के साथ की बात फैलेगी तो बहुत दूर तक जायेगी।



भारतीय भाषा अभियान की गोष्ठी में भाग लेते श्री राजीव खोसला जी (अध्यक्ष बार एसोसिएशन दिल्ली हाईकोर्ट) अरुण भारद्वाज (संचालक भारतीय भाषा अभियान), अतुल कोठारी जी (मुख्य संरक्षक भारतीय भाषा अभियान) श्री भगवान स्वरूप शुक्ल मु. आयोजक श्री कामेश्वर मिश्र, प्रान्तीय अधिकारी, श्री अश्विनी मिश्र, निवेदक भारतीय भाषा अभियान, अधिवक्तागण एवं लोक जागृति संस्था के सदस्य गण। गोष्ठी में श्री खोसला जी ने अदालती कार्रवाई हिन्दी में कराने के प्रस्ताव को बार एसोसिएशन में पास कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान लोक जागृति संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा ने भारत भाषा अभियान में पूर्ण सहयोग देने की बात कही।

जीत निश्चित हो तो
कायर भी लड़ सकते हैं,
बहादुर वे कहलाते हैं,
जो हार निश्चित
हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते...

हमारे देश में बदलाव
नहीं आता क्योंकि
गरीब में हिम्मत नहीं
मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं
और अमीर को जरूरत नहीं...

लोकतंत्र का अपहरण



सुरेश पांडेय

अंग्रजों के बाद सत्तानशील हुए लेकिन उनके द्वारा लिए गए कुछ फैसलों से बड़े परेशान करने वाले सवाल खड़े होते हैं हमारा संविधान बनाने वालों ने कड़ी मशक्कत की विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक संविधानों की लोकतांत्रिक विशेषताओं को हमारे संविधान में जोड़ा सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक बनाने की नीयत से उन्होंने

ब्रिटिश व्यवस्था की तर्ज पर संसदीय स्वरूप अपना लिया लेकिन उनसे एक चूक हो गई समझना मुश्किल है कि क्यों और कैसे हुई? आजादी की लड़ाई के तमाम बड़े नेता अपने निजी अनुभव से यह जानते थे कि ब्रिटेन, अमरीका और अन्य पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पुलिस और दफतरशाही की भूमिका कैसी

होती है वे यह भी बखूबी जानते थे कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस का कामकाज कैसा होता है खासकर यह कि वह कानून के मुताबिक चलने वाले नागरिकों के साथ कैसे पेश आती है

सामासजी हुकूमत के दौरान पुलिस के दमनकारी चरित्र के कड़े अनुभव उन्होंने खुद झेले हुए थे उन्हें पता था कि आम लोगों के दिल पर थाने का कैसा खौफ छाया रहता है फिर भी उन्होंने पुलिस अधिनियम 1861 को बरकरार रखा, यह कानून ऐसा पुलिस बल तैयार करने के लिए बनाया गया? भ्रष्ट, नकारा, बर्झमान और दमनकारी पुलिस तंत्र को क्यों बरकरार रखा गया? उसके जनविरोधी चरित्र को क्यों बरकरार रखा गया? सरकार अभी भी ऐसे किसी बदलाव को तैयार क्यों नहीं है जो पुलिस को लोकतंत्र के माकूल बनाए ?

यह एक वाजिब सवाल है कि लोकतांत्रिक भारत को उपनिवेशिक हुकूमत से भी ज्यादा दमनकारी कानूनों और खौफनाक प्रावधानों की जरूरत क्यों होनी चाहिए थी? आज ब्रिटिश राज से भी ज्यादा असंतोष क्यों फैलना हो चाहिए? तब से भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन आज क्यों क्यों होने चाहिए? क्या भारतीय राजसत्ता ब्रिटिश हुकूमत से भी ज्यादा शोषक और दमनकारी हो गई है अगर ऐसा है तो आखिर वह क्या वजह है जिसने लोकतांत्रिक हुकूमतों और उन्हें चुनने वाली जनता के बीच यह दुश्मनी पैदा की है?

लोकतंत्र का अपहरण कैसे हुआ ? : हमारे लोकतंत्र की मौजूदा दशा की मूल वजह आजादी की लड़ाई के नेतृत्व के वर्गीय परिवेश और चरित्र में तलाशी जा सकती है ज्यादातर नेता समाज के रसूखदार तबकों से आए थे, वे भारत की आजादी के लिए

सचमुच प्रतिबद्ध थे लेकिन लोकतंत्र या समतावादी समाज के मकसद से उनका कोई लगाव नहीं था इसलिए आजादी हासिल करने के बाद उन्होंने राजसत्ता का इस्तेमाल अपने ही स्वार्थों को साधने के लिए किया न कि जनता के हित पूरे करने के लिए आम आदमी का सशक्तीकरण उनके अपने स्वार्थों के लिए खतरा था, इसलिए उपनिवेशिक दफतरशाही को उसके दमनकारी चरित्र के साथ बरकरार रखा गया पुलिस तंत्र की वफादारी देश के कानून के प्रति नहीं बल्कि शासकों के प्रति थी उसे बदस्तूर जारी रखा गया वह उसी रूप में आज तक बरकरार है आम आदमी के साथ शासित यानी प्रजा की तरह सलूक होता रहा राजनीतिक वर्ग ने परोपकारी शासक की भूमिका अपना ली, उसने हकों पर आधारित लोकतंत्र के बजाय परोपकार पर आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा दिया

दफतरशाही के सामने आम आदमी की हैसियत पहले की तरह दास जैसी ही रही उसे महसूस कराया जाता रहा कि उसे किसी भी चीज का कोई हक नहीं है, उसके तमाम हक दफतरशाही के दयाभाव के भरोसे हैं, देश अलग अलग आकाओं की जागीरे नजर आता है जिन पर कुछ परिवारों का राज है राजनेताओं ने अलग अलग स्तरों पर

वंशवादी राज कायम कर दिया है राजनीत में बाप की जगह बेटे और पति की जगह पत्नी के लिए तय हो गई है, क्या कोई सोच भी सकता है कि अमरीका में कोई नामित राष्ट्रपति होगा? या ब्रिटेन में कोई नामित प्रधानमंत्री होगा? और क्या ऐसे हालात में सचमुच का लोकतंत्र संभव भी है? उस नामित शख्स की काबलियत चाहे जो भी हो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी नामित है और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामित होते हैं वे जनसमर्थन से चुने गए नेता नहीं होते। हमारी राजनीतिक पार्टियां और उनके राजनेताओं का मुख्य काम भ्रष्टाचार के जरिए दौलत का अंबार खड़ा करना है भ्रष्टाचार की काली कमाई से ही वे चुनाव अभियान चलाते हैं हमारे लोकतांत्रिक संविधान को चलाने का ठेका उन राजनीतिक पार्टियों के कामकाज के लिए कोई नियम कानून नहीं है उनका कामकाज पूरी तरह निरंकुश है हमारा देश इकलौता ऐसा लोकतंत्र होगा जहां के राजनेता बेधड़क ऐलान कर सकते हैं कि अपने समर्थकों के छोटे छोटे दान से या दूध बेचकर वे रातोंरात करोड़पति अरबपति हो गए ऐसी अविष्वासपूर्ण कहानियां नहीं गढ़ने वाले राजनेता भी कोई पाक साफ नहीं हैं वे अपनी काली कमाई को छिपाने में ज्यादा माहिर और पातिल हैं राजनीतिक पार्टियां जब काले धन पर चलती हैं और काला धन जुटाने के पेशे में लगी हैं तो जाहिर है कि अमीरों की दादागिरी चलेंगी राजसत्ता का इस्तेमाल वे अपने स्वार्थ साधने के लिए करेंगे यह अनायास ही नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां अरबों खरबों के मालिक उद्योगपतियों की लल्लो चप्पो करती रहती हैं और उन्हें अपने टिकट पर संसद में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती जो पैसे देता है तूती उसी की बोलती है यह कहावत भारत से ज्यादा और कहीं सही नहीं है।



आरती की जै नोटों की।
भ्रष्टाचारियों नेताओं के फोटों की।
जिसके बल से जांच ऐंसी कापे।
आयकर विभाग निकट नहिं झांके।
अफसर नेता साथ पढ़ाए।
नोएडा भूमि सु खाए।
नोएडा एक नोटों की खाई।
भ्रष्टाचारी की खूब कमाई।
ग्राम उजरि कृषक सहारे।
राज नेता प्रमुखों के काज संवारे।
किसान ठगे से पड़े किनारे।
लाय कर्ज सजीवन प्राण उबारे।
पैठि पंचसितारा होटल नेता सारे।
कानून की लम्बी भुजा उखारे।
बायें भुजा किसानों को मारे।
दहिने भुजा बिल्डर्स को तारे।
अफसर जन सब आरती उतारे।
जै-जै-जै राष्ट्रपिता को उचारे।
सुरा सुन्दरी साथ मंगाई।
अगुवाई करत विष कन्या लाई।
जो भ्रष्टाचार की आरति गावे।
बसि कारागार परम सुख पावे।

भूकंप आने पर क्या करें, कैसे बचायें अपने आप को?

पिछले महीने आए भूकंप की त्रासदी से नेपाल अभी संभल भी नहीं पाया है कि एक बार फिर भूकंप में नेपाल को हिला दिया है। नेपाल में आए भूकंप से आसपास के सभी देश एक बार फिर थर्रा गए हैं। दोपहर 12:38 बजे आए भूकंप का केंद्र काठमांडू का कोडारी बताया जा रहा है।

पूरे उत्तर भारत और आसपास के राज्यों में आधे घंटे के अंतराल में कई बार भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान में भी महसूस किया गया।

भूकंप के कारण पड़ोसी देश नेपाल में भारी नुकसान हुआ है और कईयों के मरने की खबर है। भूकंप जैसी आपदा के दौरान थोड़ी सतर्कता और हिम्मत से जान-माल के नुकसान कम किया जा सकता है। भूकंप आने के दौरान आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप और अपने परिजनों व दोस्तों को सुरक्षित बचा सकें।

■ भूकंप आने पर तुरंत सुरक्षित खुले मैदान में जाएं। बड़ी इमारतों, पेड़ों, बिजली के खंभों से दूर रहें।

■ बाहर जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

■ भूकंप आने पर खिड़की, अलमारी, पंखे, ऊपर रखे भारी सामान से दूर हट जाएं ताकि इनके गिरने से चोट न लगे।

■ कहीं फंस गए हों तो दौड़ें नहीं। इससे भूकंप का ज्यादा असर होगा।

■ टेबल, बेड, डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं।

■ किसी मजबूत दीवार, खंभे से सटकर सिर, हाथ आदि को किसी मजबूत चीज से ढककर बैठ जाएं।

■ वाहन चला रहे हैं तो बिल्लिंग, होर्किंस, खंभों, फ्लाइओवर, पुल से दूर सड़क के किनारे गाड़ी रोक लें।

जानिए रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जब इतनी हो, तो उसका क्या होता है असर :

■ 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सीज्मोग्राफ से ही पता चलता है।

■ 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर

हल्का कंपन होता है।

■ 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए, ऐसा असर होता है।

■ 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं। दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती हैं।


■ 5 से 5.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है।

■ 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है। ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है।

■ 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतें गिर जाती हैं। जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं।

■ 8 से 8.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं।

■ 9 और उससे ज्यादा रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है।



फर्जी खतौनी लगाकर कोटा बढ़ा रहे गन्ना किसान

पूर्वांचल में फर्जी किसानों का बोल बाला है, यहां पर जिस व्यक्ति के पास एक बीघा जमीन नहीं है वह फर्जी खतौनी लगा कर गन्ना का कोटा बनवा लिये है असली किसानों को गन्ना बेचने के लिए गन्ना मिल से पर्ची ही नहीं मिल पाती उल्टे फर्जी किसान को समय से उनके अनुसार पर्ची मिलती रहती है और वह किसानों से कम मूल्य पर गन्ना खरीद कर अपने पर्ची पर गन्ना बेच देते हैं इससे किसानों को नुकसान होता है ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला जाता है यह काम अफसर और गन्ना मिल के अधिकारी मिल कर करते हैं। इस खेल में जिला गोण्डा सबसे आगे है।

अनिल कुमार शुक्ला

दोस्ती

“जब आप जीवन में सफल होते हैं तब आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, जब आप जीवन में असफल होते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन हैं”

आचार्य चाणक्य

जिस देश की प्रजा लालची और मुपतखोर हो उस देश पर ठग राज करते हैं।

तोमर का बन गया तमाशा

फर्जी डिग्री मामले में फंसे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी डिग्री असली है और विरोधी उनकी छवि धूमिल करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वह भाजपा के पूर्व विधायक डॉ. नंद किशोर गर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। उनका कहना है कि अगली सुनवाई में वह वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में सभी प्रमाण पेश करेंगे। तोमर ने कहा कि चुनाव हारने के बाद से डॉ. गर्ग उनकी व आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। गर्ग ने उनकी डिग्री को लेकर हाई कोर्ट में जो प्रमाण दिए हैं, उसे साबित करने के लिए वह भी याचिका दायर करेंगे। उनका आरोप है कि दिल्ली व हिमाचल प्रदेश में डॉ. गर्ग के कई विश्वविद्यालय हैं। वह अपने संपर्क से गलत प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। गौरतलब है कि तोमर पर फर्जी शैक्षणिक डिग्री का आरोप लग रहा है। इस संबंध में अदालत में याचिका विचाराधीन है, जिसमें कहा गया है कि तोमर ने कानून की फर्जी डिग्री के आधार पर खुद को वकील के रूप में नामांकित कराया है। जितेंद्र तोमर के फर्जी डिग्री को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने तोमर को



मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं ने तोमर की बर्खास्तगी तक पूरी दिल्ली में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्लीवासियों को गुमराह कर दिल्ली की सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रही है।

आप की पीएसी की बैठक में उठी जितेंद्र तोमर को हटाने की मांग : अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष के बाद अब पार्टी के अंदर भी उन्हें मंत्री परिषद से हटाए जाने की मांग उठने लगी है। आज आप की पीएसी की बैठक में तोमर को हटाए जाने की मांग उठी। गौरतलब है कि जितेंद्र सिंह तोमर पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है। उनका कहना है कि उन्होंने भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है जबकि यूनिवर्सिटी ने इस बात को गलत करार दिया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले भाजपा उसके एक दिन बाद कांग्रेस ने तोमर को हटाने की मांग को लेकर केजरीवाल के निवास के बाहर प्रदर्शन किया।

(तेज सिंह यादव, अधिवक्ता)

भगवान कहां से हो

कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहां से हो।
अनाज हो गया रासायनिक, खाद कहां से हो।
भोजन हो गया डालडा का, ताकत कहां से हो।
नेता हुआ कुर्सी का, देशमुखी कहां से हो।
फूल हुए प्लास्टिक के, खुशबू कहां से हो।
चेहरा हुआ मेकअप का, रूप कहां से हो।
शिक्षक हुए ट्यूशन के, विद्या कहां से हो।
प्रोग्राम हुए चैनल के, संस्कार कहां से हो।
इंसान हुआ पैसों का दया कहां से हो।
पानी हुआ केमिकल का, गंगा जल कहां से हो।
संत हुए स्वार्थ के, सत्संग कहां से हो।
भक्त हुए स्वार्थ के, भगवान कहां से हो।

दिल्ली पुलिस कितनी स्पेशल

राष्ट्रीय राजधानी में सरेआम भीड़ भरे एक रेस्ट्रॉन्ट में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोगों ने जिस तरह से कथित एनकाउंटर में एक व्यक्ति को मार गिराया, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे किसी भी एनकाउंटर के बाद जैसा शोर उठता है, फिर जिन उपायों से उस शोर को थामने की कोशिश होती है, ठीक वैसा ही इस बार भी होता दिख रहा है।

पुलिस कमिश्नर ने परिवार वालों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, संबंधित पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई। सवाल एसआईटी में शामिल किए गए पुलिस अधिकारियों को लेकर भी उठे हैं, लेकिन फिलहाल इसे छोड़ दें तब भी इतना तो साफ है कि इस मामले में पुलिस ज्यादाती की जांच पुलिस द्वारा ही करवाना काफी मान लिया गया है। एक भीड़ भरी जगह में, बिना किसी असाधारण परिस्थिति के, पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई पर संबंधित राजनीतिक संस्था (इस मामले में केंद्र सरकार) को पसीने-पसीने हो जाना चाहिए था। मगर, हैरत की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में

एक बयान जारी करने की भी जरूरत नहीं महसूस की।

मारे गए व्यक्ति को अत्यधिक खतरनाक बताने की कोशिश में जो आरोप स्पेशल सेल ने लगाए हैं, वे उस सेल को ही हास्यास्पद बनाते हैं। बावजूद इन सबके, सरकार इस मामले को जरा भी तवज्जो देने के मूड में नहीं दिखती। अजीब बात है कि दिल्ली पुलिस का 'स्पेशल सेल' कभी किसी कारोबारी को उड़ा देता है तो कभी किसी 'आतंकवादी' को पकड़ कर अपनी पीठ टोक लेने के बाद जगह-जगह सफाई देता फिरता है। कभी प्रॉपर्टी डीलरों के साथ डीलिंग में इसका स्टार अधिकारी बेमौत मारा जाता है, कभी किसी गुमनाम से चीटर का 'मुकाबला' करते हुए इसके लोग उसे रेस्तरां में ही ढेर कर देते हैं।

इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जवाब देही जिनके प्रति है, वे लोग इस सेल का ढांचा और कमांड सिस्टम सुधारने की बात भी नहीं सोचते। अवैध वसूली के जो आरोप स्पेशल सेल पर लगते रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए ऐसी घटनाओं पर लीपापोती की कोशिश सरकार की साख का बंटोधार कर रही हैं।

(ज्ञान चंद्र मिश्रा)

कुछ पत्थर में फूल खिल जाते हैं
कुछ अनजाने भी अपने बन जाते हैं,
इस कालिल दुनिया में कुछ लाश को कफन
भी नसीब नहीं होते
तो कुछ लाश पर ताजमहल बन जाते हैं।

नए भूमि अधिग्रहण बिल में अपने अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं किसान

संसद से लेकर सियासत के गलियारों तक भूमि अधिग्रहण बिल पर बहस जारी है, लेकिन इस बीच उस किसान की आवाज सबसे कम सुनी जा रही है, जिसकी जमीन का सवाल है।

जमीन अधिग्रहण पर आम किसानों की राय समझने हम पहुंचे दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा इलाके में। निलोनी शाहपुर गांव में रहने वाले 92 साल के रामेश्वर दयाल एक समय यमुना एक्सप्रेस-वे के करीब कपास और गेहूं की खेती किया करते थे। रामेश्वर कहते हैं, प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेस-वे से सटी उनकी 13 बीघा जमीन वर्ष 2009 में जबरन ले ली और कोई मुआवजा भी नहीं दिया। अब जब वह मुआवजा मांगने जाते हैं तो स्थानीय अधिकारी घूस मांगते हैं।

रामेश्वर दयाल ने लोकजागृति से कहा, 2009 में मेरी जमीन बंदूक दिखाकर जबरन ले ली। मुआवजे के लिए फाइल लगाने पर कहते हैं 4,000 रुपये-6,000 रुपये दो, हम कहां से लाएं पैसे? हमारे पास पैसे नहीं हैं। जमीन अधिग्रहण का खौफ इतना ज्यादा है कि जमीन अधिग्रहण कानून को आसान बनाने की पहल के खिलाफ हैं। रामेश्वर कहते हैं, 'मोदी जी जो संशोधन लाए हैं, वह ठीक नहीं है।'

पास ही के गांव मिर्जापुर के किसान प्रेमराज सिंह भाटी की आठ बीघा जमीन भी पांच साल पहले यमुना उद्योग विकास प्राधिकरण ने विरोध के बावजूद ले ली। फिलहाल इलाहाबाद हाइकोर्ट से स्टे ले आए हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी है।

प्रेमराज कहते हैं कि नए जमीन अधिग्रहण बिल में किसानों की जमीन जबरन कोई न ले सके, इसके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने लोकजागृति से कहा, 'किसानों की इच्छा से ही उनकी जमीन ली जाए, जबरन नहीं, किसानों की स्वेच्छा से ही उनकी जमीन का अधिग्रहण होना चाहिए।'

दरअसल किसानों की जमीन कौन ले, किस तरह ली जाए - यह सवाल पेचीदा है और इस मसले पर चल रही राजनीतिक बहस पर इस इलाके के किसान कड़ी नजर रख रहे हैं। किसान चाहते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जमीन जबरन उनसे न छीनी जाए और इसके लिए कानून में विशेष प्रावधान किए जाएं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के चारों तरफ बसे किसानों के लिए यह एक बड़ा मसला है। वे चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण कानून का दुरुपयोग रोका जाए। सरकार अगर अधिग्रहण करे भी तो वह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किया जाए। सरकार किसानों से जमीन लेकर प्राइवेट बिल्डरों या किसी और को न दे। इन किसानों को इस बात पर ऐतराज नहीं कि बिजली परियोजना जैसी योजनाओं के लिए किसानों की सहमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य न रखा जाए, लेकिन वे इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि उनकी जमीन का आगे चलकर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल न किया जाए। वे गरीब जरूरतमंदों के लिए घर बनाने के लिए जमीन देने को तैयार हैं, बशर्ते उन घरों में उन्हें हटाकर बाहरी लोगों को न बसाया जाए। (एजेसी)



लोक जागृति की 20 सूत्री मांग

- हर बेरोजगार को रोजगार प्रदान कराना।
- सभी को उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना।
- आरक्षण का आधार आर्थिक हो।
- पुलिस व्यवस्था में सुधार हो।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य एवं योग्यता का प्रत्येक दस वर्ष में उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन होना चाहिए।
- एक निश्चित समय में न्याय निर्णय की व्यवस्था करना।
- भारतीय न्यायालयों में भारतीय भाषा में कार्य करने की स्वतंत्रता हो।
- शिक्षण संस्थान एवं चिकित्सा व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो।
- सांसद व विधानसभा में पार्टी व्यवस्था समाप्त कर लोकहित में काम करना।
- सामाजिक सोशल आडिट की व्यवस्था करना।
- लाभ के पद पर बैठे लोगों की सब्सिडी बंद करना।
- बड़े नोट 500, 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद होना।
- हर वस्तुओं एव सेवाओं की लागत अंकेक्षण कराना और वस्तुओं के पैकेट पर लागत मूल्य लिखना।
- भारतीय दण्ड संहिता में सुधार झूठे केष दर्ज कराने एव करने पर कार्यवाही करना या कुछ दण्डात्मक कार्यवाही।
- समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना।
- देश के प्राकृतिक संसाधनों पर देश की सरकार का अधिकार होना चाहिए।
- सीलिंग लिमिट जैसे कृषि भूमि पर उसी तरह शहरी क्षेत्र में भी होनी चाहिए।
- कराधान एवं लाइसेंस प्रक्रिया को सरल एवं स्पष्ट करना। लालफीता शाही खत्म करना।
- गरीबों की सही पहिचान और उन्हें निःशुल्क कोई चीज न दे कर उन्हें रोजगार परक बनाना एव स्वावलम्बी बनाने का कार्यक्रम बना।
- टोल टैक्स समाप्त करना।

वक्त की मांग है भूमि अधिग्रहण बिल : मोदी



कुलदीप सक्सेना

मोदी सरकार के एक साल पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ घोटाले, महंगाई की खबरें ही दिखती थीं। लेकिन अब एक साल बाद कोई घोटाला नहीं। एफडीआई और विदेशी पर्यटक के आने जैसे हर क्षेत्र में अच्छी खबरें हैं।

ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को दिए इंटरव्यू में कही हैं। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भूमि अधिग्रहण बिल, मनरेगा, किसानों की समस्याएं और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की है। सरकार कुछ कर नहीं पा रही है? इस सवाल पर पीएम मोदी ने कहा है, नेपाल में हुई आपदा में और भारत सरकार पहुंच गई। यमन में हम पहुंचे, कश्मीर की त्रासदी हो तो हम वहां थे। पहले 1.74 करोड़ का कोयला घोटाले की चर्चा होती थी। भूमि अधिग्रहण बिल पर पीएम का कहना है, भूमि अधिग्रहण बिल वक्त की मांग है। 2013 के कानून में किसान विरोधी जितनी बातें हैं, विकास विरोधी जो प्रावधान हैं, अफसरशाही को बढ़ावा देने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उनको ठीक करके किसान एवं देश को संरक्षित करना चाहिए। हम जो सुधार लाए हैं, अगर वो नहीं लाते तो किसानों के लिए सिंचाई योजनाएं असंभव बन जाती। इस बिल को लेकर विपक्ष के हमले पर पीएम का कहना है कि पुराने बिल के लिए जितनी कांग्रेस जिम्मेदार थी उतनी ही बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी ने भी उनका साथ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि करीब सभी मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी उनके पास है जिसमें कहा गया था कि इस पर विचार करना जरूरी है। पीएम का कहना है कि भूमि अधिग्रहण बिल में बदलाव करना ना ही बीजेपी का एजेंडा है और ना ही मोदी सरकार का। ऐसा बदलाव सभी मुख्यमंत्री चाहते थे। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए हैं? इस पर प्रधानमंत्री ने कहा है, एक समय था जब देश का किसान भारत के विकास में 60 फीसदी योगदान करता था। आज यह घटकर 15 फीसदी हो गया है। खेत मजदूरों को तो कभी कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए भारत में कृषि को आधुनिक बनाने की जरूरत है। प्रति एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े? ताकि कम जमीन में भी किसान को आर्थिक रूप से लाभ मिले। हमने सोइल (जमीन) हेल्थ कार्ड लागू करने का काम शुरू किया है, जिससे किसान के खेत में लागत कम हो और उत्पादकता बढ़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास है। यूरिया में नीम की कोटिंग करने पर बल दिया है, जिससे किसानों को मिलने वाली यूरिया बिचौलिये न बेच खाएं। पीएम इस बात को मानते हैं कि विपक्षी दल भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर लोगों में यह भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए हैं कि विधेयक आने के बाद कारपोरेट घरानों के लिए जमीन ले ली जाएगी। जबकि सरकार ने कारपोरेट के लिए जमीन देने के मामले में 2013 के विधेयक में मौजूद प्रावधान को रत्ती भर भी नहीं बदला है। पीएम का कहना है कि इन सुधारों के तहत किसी भी उद्योग घराने या कारपोरेट को कोई जमीन नहीं दी है और न ही ऐसा कोई इरादा है।



कमीशन के चक्कर में एफडी की जगह कर दी एलआईसी

कमीशन के फायदे के चक्कर में एक गरीब मजबूर विधवा की जमा पूंजी की F.D. (फिक्स डिपोजिट) की जगह LIC कर दी। अब गरीब विधवा के पास प्रीमियम 98000 रुपए भरने की डेट आ गई है। महिला के पास दो ही रास्ते बचते हैं या तो वह प्रीमियम भरे या फिर अपनी जमा पूंजी भूल जाए। यही जमापूंजी उसके बुढ़ापे का सहारा थी जो कि उसके पति की दुर्घटना में हुई मौत के बाद

मिला हुआ मुआवजा था। यह कारना ए अजाम दिया है जिला गोण्डा के स्टेट बैंक आफ इंडिया की मसकनवा शाखा प्रबंधक ने। भरसक प्रयास करने के बाद भी जब पीड़ित महिला की कहीं सुनवाई नहीं हुई तो महिला लोक जागृति संस्था के कानूनी सलाह कैंप में आई और आपबीती सुनाई। कैंप सदस्यों ने महिला से पूर्ण जानकारी लेने के बाद पीड़िता को हर संभव कानूनी मदद निःशुल्क करने का आश्वासन दिया।

पीड़ित महिला के अनुसार पति की मौत के बाद मिले रुपए के साथ बैंक के कर्मचारियों ने एलआईसी कमीशन के चक्कर में पूरी रकम फंसा दी। इस कारण अब मुझे यहा सोच कर रात रात भर नींद नहीं आती हम अब क्या करें। संस्था के कार्यकर्ता ने उनकी मदद करने

की ठानी और मामले की तह तक जाने के उद्देश्य इस पीड़ित मालती देवी से सारे पेपर लाने को कहा। पेपर देख कर SBI Life Insurenc के Customer Care पर बात की गई तो मालती देवी से उसके पति का नाम पूछा। मालती देवी ने अपने पति का नाम शारदा नन्द बताया



तो Customer Care पर कहा गया कि वह गलत बता रही हैं। तपतीश करने पर पता चला कि

पति का नाम गलत लिख दिया गया है और जिसका नाम लिखा गया है वह जीवित है। दूसरा बिना प्रमाणित आयु प्रपत्र के, आयु प्रमाण पत्र के उनका बीमा 980000 कर दिया गया और प्रीमियम 98000 सालाना बना दिया गया।

इसी तरह से SBI के नाम पर Credit Card बना कर SBI के ब्रॉन्ड वैल्यू का दुरुपयोग किया जा रहा है। भोली भाली जनता के साथ लूट में देश के नामी गिरामी संस्था जैसे स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल है।

(अरविंद कुमार)

लखनऊ में मुन्ना भाई MBBS की भरमार

लखनऊ में बहुत सारे मुन्ना भाई घुम रहे हैं जो फर्जी डिग्री के आधार पर अपनी पहुंच बना कर मेडिकल कालेज का हेड बन जाते हैं प्रोफाइल देख कर ऐसा लगता है जैसे भगवान के दूसरे रूप है लेकिन यह भगवान न हो कर यमराज के चलते फिर अवतार हैं ऐसे डाक्टर बातें कम करते हैं मरीज को एव उसके तामीरदार को कुछ बताते नहीं, दावा लिखते हैं टेस्ट लिखते हैं और देखते हैं। बोलने में कालीदास की नीति अपनाते हैं जैसे कालीदास की बिना बोले विद्योतमा से शादी हो गयी अगर बोल देते तो काली दास की मूर्खता पकड़ में आ जाती है। इसी तरह लखनऊ में ऐसे ही कुछ डाक्टर एवं हस्पताल हैं जो दूर दराज से आये लोगों को मारने का अड्डा बन गये हैं। लेकिन यह मौज इसलिए ले रहे हैं जिन लोगों की इस पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी है वह तो अपना ईलाज अपोलो, मेदाता और नामी गिरायी हस्पतालों में दिल्ली में कराते और जिन का इलाज छोटे शहरों में होता है वह अपना भाग्य मान कर घर बैठ जाते हैं। हमारी सलाह है कि आप कम से कम दो या तीन डाक्टर से सलाह ले कर की ईलाज कराये। ए डाक्टर जैसे तो कैंसर के विशेषज्ञ है लेकिन इलाज फोड़े का नहीं कर सकते और न बता सकते की हमारे वश की वात नहीं है। ये डाक्टर प्राइवेट पैक्टीस नहीं कर सकते लेकिन करते हैं अपने पैड पर दवा न लिख कर सामान्य पेपर पर ही सब कुछ लिख कर दे देते हैं देख लेते हैं फीस भी अच्छी खासी घर पर देखने के लिए लेते हैं। जैसे तो इन डाक्टरों की भी क्या गलती जब मेडिकल काउंसिल अध्याक्ष श्री देसाई फर्जी मेडिकल कालेज खोलवाने के नाम पर करोड़ों मॉंगते हो और पकड़े गए हो। केस दर्ज है तो इनका क्या कहना हों कुछ डाक्टर भगवान का रूप भी होते हैं जिसमें से एक लखनऊ के डा. एमकार है जो तो सिटी रेलवे स्टेशन के पास बैठते हैं इनके यहाँ अस्सी प्रतिशत मरीज ठीक होकर जाता है।

(प्रमोद कुमार त्रिपाठी)

सफर को जब भी किसी दास्तान में रखना कदम यकीन में, मंजिल गुमान में रखना

जो साथ है वही घर का नसीब है लेकिन जो खो गया है उसी भी मकान में रखना

जो देखती हैं निगाहें वही नहीं सब कुछ ये एहतियात भी अपने बयान में रखना

वो एक ख्वाब जो चेहरा कभी नहीं बनता बना के चांद उसे आसमान में रखना

चमकते चांद-सितारों का क्या भरोसा है जमी की धूल भी अपनी उड़ान में रखना

सवाल तो बिना मेहनत के हल नहीं होते नसीब को भी मगर इन्तहान में रखना निदा फाजली

आज शुभरात्रि कैसे कहूं

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

मेरे देश के वासी भूखे जगते हैं

भूख से बच्चे बिलखते हैं कैसे कहूं शुभरात्रि भारत जो भूखा है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

जब मां सोती नहीं-बेटी जो लौटी नहीं..

बेटी जो सहमी है - दरिदे जो पीठे है..।

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भारत जो चिंतित है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

पत्नी को नींद गायब है-पति जो बाहर है..

पति जो तड़प रहा है - अभी ही तो बम फटा है..।

कैसे कहूं शुभरात्रि भारत जो सहमा है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

सोते लोगों की रखवाली पुलिस जो अत्याचारी बनी है..

रोते लोगों की सखी सरकार जो आततायी बनी है..।

कैसे कहूं शुभरात्रि भारत जो पीड़ित है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

कल का क्या होगा यह चिंता सोने जो नहीं देती..

कल क्या क्या हुआ ये याद नींद को आने नहीं देती..।

कैसे कहूं शुभरात्रि भारत जो अनिश्चित है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, रात बहुत लंबी है..

कैसे कहूं शुभरात्रि,, भोर बहुत दूर लगती है।

सचिन खरे

भारतीय दण्ड संहिता में बहुत सुधार की जरूरत

भारतीय दण्ड संहिता 1860 जब लिखा गया होगा तब इसके बनाने वाले लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आदमी इतना झूठ बालेगा पुलिस इतनी वेईमान होगी और तब इतना झूठ लोग बोलते भी नहीं थे। हमारी आजादी की लड़ाई के समय हमारे कान्तिकारी लोग भी कई झूठे केस में फंसाये गये और फिर आजादी की लड़ाई के साथ भारतीय दण्ड संहिता 1860 को बदलने की मांग उठने लगी लेकिन आजादी मिल जाने के बाद सरकार चलाने वाले लोग यह सोचने लगे कि इसी संहिता के सहारे ही तो हम शासन कर पाएंगे अगर हम बदल देंगे तो हम शासन कैसे चलाएंगे। इसी कारण जब कोई विपक्ष यें होता है विरोध करता है और सत्ता में आते ही पक्षघर हो जाता है। इसी कारण न तो इसमें बदलाव हो रहा है। और न ही उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस सुधार के लिए कोई काम। आप घर बैठे हो आप का कोई खुराफाती दुश्मन चाहे तो आपको बिना किसी अपराध आपको जेल भिजवा सकता है और आपकी सारी इज्जत मान सम्मान एक दिन में मिट्टी में मिला सकता है सिर्फ हमारी भारतीय पुलिस को थोड़ा सेट कर ले और आप जानते होंगे की हमारी पुलिस कितनी ईमानदार है इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है यदि पुलिस को आपके खिलाफ एक शिकायत मिला जाय की आपने मारने की धमकी दी है, अवैध असलाह गर्दन पर रख, चाकू दिखाया, उसके पास कुछ पैसे थे आपने छीन लिए इत्यादि झूठी शिकायत आपके खिलाफ हो गयी, और यदि कोई फर्जी मेडिकल सर्टीफिकेट किसी डाक्टर से बनवा लिया जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है तो आपकी जिन्दगी हो गयी बेकार, अब आपको जेल जाना पड़ेगा, निर्दोष साबित करने के लिए वर्षों कोर्ट, कचहरी के चक्कर काटने पड़ेगे, और आप अगर भगवान की कृपा से पैसे वाले है और भाग्य ने अगर साथ दिया अच्छा वकील मिल गया तो निर्दोष साबित हो जाएंगे। अन्यथा वह भी होना मुश्किल होगा। अब यदि आपका भाग्य साथ दे दिया आप निर्दोष सिद्ध हो गये तो झूठी कम्प्लेन करने वाला, पुलिस, डाक्टर, सब एक के बाद एक को फंसाते रहेंगे। ऐसी घटना के बारे में दण्ड संहिता के बनाने वालों ने सोचा ही नहीं होगा कि पुलिस की काइम ब्रांच के लोग जब शराब पी कर छापा डालेंगे काइम ब्रांच ही किमिनलों की हो जायेगी जहाँ कोई कानून नहीं चलेगा और उनका सिर्फ अपना कानून होगा, अंधा कानून। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में FIR दर्ज कराने के लिए 156(3) में न्यायालय में आवेदन करता है तो विपक्षीगण के पक्ष को सुनने का कोई प्रॉवधान नहीं चाहे वह निर्दोष हो मृत्यु व्यक्ति के खिलाफ भी आप आवेदन 156(3) के अन्तर्गत आवेदन देंगे तब भी कोर्ट उस मृत्यु व्यक्ति द्वारा मृत्यु के बाद किये गये अपराध की जांच करने का आदेश पुलिस को देगी और पुलिस उसके अपराध की जांच रिपोर्ट कोर्ट में देगी। भारतीय दण्ड संहिता में बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन कुएं मे ही भांग पड़ी है सब मस्त है गरीब और आम जनता की किसको पड़ी है सब अपने-अपने धंधों में व्यस्त है मस्त है जनता पस्त है और वह गृहणी की तरह रोटी उलट पलट कर सेकाई कर रही है जो उसके बस में है। उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना जनता एवं पुलिस के अलावा न्यायाधीश स्वयं कर रहे। (कृष्ण कुमार पांडेय, शासकीय अधिवक्ता, भारत सरकार)

आरोपी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी आरोपी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है और इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, भले ही कानूनी सहायता सुनवाई या किसी अदालती आदेश के खिलाफ अपील के लिए मांगी गई हो। न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हमारा मानना है कि किसी आरोपी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराने में सुनवाई या अपील के बीच न तो संविधान और न ही कानूनी सहायता प्राधिकरण अधिनियम विभेद करता है। निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि कानूनी सहायता प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अनुसार, हिरासत में लिए गए हर उस व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, जिसे कोई मामला दायर करना हो या अपना बचाव करना हो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पांच सितम्बर, 2006 के एक फैसले को खारिज करते हुए सुनाया, जिसमें आरोपी राजू का कोई वकील नहीं होने के बावजूद निर्णय सुना दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को राजू की अपील फिर से सुनने के लिए कहा है। (प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता)

कुछ खास व रोचक जानकारियां

■ उस देश में निवास न करें जहाँ आपकी कोई ईज्जत नहीं हो, जहाँ आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान आर्जित नहीं कर सकते।

■ इन ५ पर कभी विश्वास ना करें :

1. नदियाँ,
2. जिन व्यक्तियों के पास अशत्रु-शस्त्र हों,
3. नाखून और सींग वाले पशु,
4. राज घरानों के लोगो पर।

■ उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया

1. जिसका पुत्र आज्ञाकारी है,
 2. जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है,
 3. जिसे अपने धन पर संतोष है।
- ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं, ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी उपरी सतह दूध से भरी है।

■ एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें। एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें। क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आप के सभी राज से पर्दा खोल देंगे।

■ मन में सोंचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें।

■ हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणी नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चन्दन के वृक्ष भी नहीं होते हैं।

■ लाड़-प्यार से बच्चों में गलत आदते

ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदते सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दण्डित करें, ज्यादा लाड़ ना करें।

■ पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगो से बे-इज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा - ये छह बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं।

■ नदी के किनारे वाले वृक्ष, दुसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा - ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।

■ एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है की साप तभी डंक मरेगा जब उसकी जान को खतरा हो लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुचाने की कोशिश करेगा

■ राजा लोग अपने आस पास अच्छे कुल के लोगो को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरम्भ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं।

■ जो उद्यमशील हैं, वे गरीब नहीं हो सकते, जो हरदम भगवान को याद करते हैं उनहे पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते।

■ जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं।

■ धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती है जहाँ।।

1। मूखो का सम्मान नहीं होता।

2। अनाज का अच्छे से भण्डारण किया जाता है।

3। पति, पत्नी में आपस में लड़ाई नहीं होता है।

■ सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा एक

गुणी पुत्र हो क्योंकि एक चन्द्रमा ही रात्रि के अन्धकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं करते।

■ निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती हैं।

1। एक छोटे गाव में बसना जहाँ रहने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं।

2। एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है।

3। अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना।

4। जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है।

5। जिसको मुख पुत्र है।

6। जिसकी पुत्री विधवा हो गयी है।

■ यह बातें एक बार ही होनी चाहिए।।

1। राजा का बोलना।

2। बिद्वान व्यक्ति का बोलना।

3। लड़की का ब्याहना।

■ इन बातों को बार बार गौर करें...

सही समय

सही मित्र

सही ठिकाना

पैसे कमाने के सही साधन

पैसे खर्चा करने के सही तरीके

आपके उर्जा स्रोत।

■ सोने की परख उसे घिस कर, काट कर, गरम कर के और पीट कर की जाती है। उसी तरह व्यक्ति का परीक्षण वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसमें गुण कौनसे हैं और उसका व्यवहार कैसा है इससे होता है।

■ धर्म की रक्षा पैसे से होती है।

ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है।

(चाणक्य नीति से)

राजा से रक्षा उसकी बात मानने से होती है।

कौन क्या कहता है

घड़ी : समय मत गंवाओ
समुद्र : विशाल दिल रखो
चींटी : निरंतर कर्म करते रहो
वृक्ष : परोपकारी बनो
धरती : सहनशील बनो

सूर्य : निरंतरता बनाए रखो
गुलाब : दुख में भी खुश रहो
दीपक : दूसरों को रोशन करो
कुत्ता : वफादार बनो
कोयल : मीठा बोलो
कौआ : चतुर बनो

बहुउपदेश कुशल बहु तेरे

लोग जागृति संस्था यह आवाहन करती है कि सांसद विधायक एवं मंत्री अपनी सभी प्रकार की सब्सीडि लेना बन्द कर दे तो, देश का करोड़ों रूपया बचेगा जो गरीबों के काम आयेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता से अपील करना की सब्सीडि लेना बन्द कर दे जिससे गरीबों को फायदा पहुंचाया जा सके लेकिन स्वयं सोसदो मंत्रीयो द्वारा भरपूर सब्सीडि लेना संस्कारी सुविधाएं लेना रेलवे के प्रथम श्रेणी के ज्यादातर सीटे वी आई पी मंत्री, अफसर के लिए होती है। सभी जगह कोटा है परन्तु जनरल डिब्बे में मंत्री विधायक सांसद का कोई कोटा नहीं है।

एक नाम भर नहीं हैं मानबी

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर विभिन्स कॉलेज की प्रिंसिपल बनने वाली ट्रांसजेंडर मानबी बंदोपाध्याय खबरों में भले ही अब आई हों, लेकिन जीवन की चुनौतियों से मुकाबले का उनका एक लंबा इतिहास है। इसी की बदौलत वह बहुतेरे लोगों के लिए जीवित आदर्श बन गई है। ऐसे समाज में, जहां लोग किसी हिजड़े को घर के चौका—बासन या छोटे बच्चे की देखरेख जैसा काम भी देने को राजी नहीं होते, जहा.



हाव-भाव सेही उसका लिंग पहचान कर कोई स्कूल उसे अपने यहां एडमिशन देने को राजी नहीं होता, वहाँ बांग्ला भाषा की गंभीर शिक्षक और अब एक कॉलेज प्रिंसिपल बनकर मानबी ने एक नया इतिहास रच दिया है। आप चाहें तो पश्चिम बंगाल के कॉलेज सर्विस कमिशन और वहां के अधिकारियों रानेताओं को धन्यवाद दे सकते हैं।

शिक्षिका मानबी ने एक बेटा गोद ले रखा हुआ है। उनकी छवि एक बेहतर इंसान और कुशल प्रशासक की है। साथ के लोग उनके मजबूत व्यक्तित्व की कद्र करते हैं और प्रशंसा करते नहीं थकते। भारत में ट्रांसजेंडरों की संख्या को लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जल्द ही यह स्थिति नहीं रहेगी। पांच महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। बस समाज की समस्याओं को पहले गंभीरता से नहीं लिया जाता था, इसीलिए ये लोग हाशिए में सिमट कर रह गए थे। बाद में लक्ष्मी जैसी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्टों की सक्रियता से इनके हकों की आवज बुलंद हुई। सार्वजनिक

जीवन में हिजड़ों के दखल पर मोहर लगाते हुए शबनम मौसी ने फरवरी 2000 में मध्यप्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीत एक नई शुरुआत की। इस समाज की सचाई परदे पर शबनम मौसी फिल्म ने बड़े तरीके से दिखाई है। देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर पद्मिनी प्रकाश अपने काम से तो संतुष्ट है ही, खुश है कि समाज ने उन्हें वह सम्मान दिया जो उनके परिवार से नहीं मिला था। ट्रांसजेंडरों को काम मिलने लगा तो कई वर्जनाएं खुद ब खुद टुट जाएंगी आखिर सिर्फ एक नाम तो नहीं है मानबी।

(शिव बहादुर गौतम)

रस्सी को सांप बनाती पुलिस

रस्सी को साँप बनाने की महारत भारतीय पुलिस को खुब आती है। एक नाई की दुकान पर दरोगा जी बाल की कटिंग कराने आते थे। नाई ने दरोगा जी से कईवार पूछा की साहब पुलिस रस्सी को साँप कैसे बनाती है, दरोगा जी ने कहा की अगली बार आऊंगा तो बताऊंगा।

दरोगा जी कटिंग कराके चले गये और दिन में थाने से चार पुलिस उसकी दुकान पर भेज दिया और वह उसके यहाँ छापा डाले और नाई से कहे कि तुम अवैध हथियारो की सप्लाय करते हो और उसके यहाँ से जो दुकान पर छूरा कैची थी जब्त करके उसे पकड़कर थाने ले आए। जब नाई थाने में आया तो दरोगा जी से मुलाकात हुई उसने

दरोगा जी से अपने को बेगुनाह होने का तमाम तर्क दिया लेकिन उसका सारा प्रयास वेकार रहा और दरोगा जी ने कहा की मामला बड़ा गम्भीर है और रंगेहाथ माल की वरामदगी हुई है बड़े अधिकारियों की जानकारी में मामला है और देश हित से जुड़ है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी नैकरी भी खतरों में पड़ जायेगी।

नाई के हाथ पैर जोड़ने के बाद दरोगा जी आधे घण्टे बाद आये और कहा कि चूकि मैं आपको पहले से जानता हूँ इस लिए कम से कम एक लाख रूपया लगेगा और दो घण्टे के अन्दर पैसे का इन्तजाम हो जाए तो काम बन सकता है। नाई दो घंटे में पैसे इतजाम करने के लिए राजी हो

गया। जब वह सोनार की दुकान पर गहने बेच रहा था तभी सोनार की दुकान पर पुलिस का छापा पड़जाता है और पुलिस सोनार और नाई को चोरी के सामान खरीदने व बेचने के जुर्म में पकड़ लेती है और किसी तरह से सोनार और नाई को लेन देने के बाद पुलिस छोड़ती है और फिर सोनार से पैसा लेकर नाई दरोगा जी के पास आता है। और फिर दोनो मामला दरोगा जी द्वारा ठीक किया जाता है। अब जब दूबारा दरोगा नाई के यहाँ कटिंग कराने आतेहैं और नाई से पूछते हैं कि अब तो तुम्हे पता चल गया होगा कि पुलिस रस्सी को साँप कैसे बनाती है।

प्रमोद कुमार उपाध्याय (अधिवक्ता)



वरुण गांधी का एक सराहनीय फैसला

जिस तरह से वरुण गाँधी जी ने अपने पाँच माह का वेतन किसानों को देने का फैसला लिया साथ में यह कि जब तक वह सांसद रहेगे, प्रत्येक माह का वेतन अपने संसदीय क्षेत्र में किसी वित्तीय रूप से जरूरत मंद परिवार की सहायता करेगे। इसी तरह से यदि ईमानदारी से सांसद एव विधायक घोषण कर दे तो किसानों कि आत्महत्या कम हो जायेगी और किसान, गरीब जनता को अपना सही अभिभावक मिल जायेगा। इस तरह के पहल सराहनीय है और लोक जागृति संस्थ वरुण गाँधी जी इस पहल का तहे दिल से स्वागत करती है। और मोदी जी, सोनिया जी से अपील करती है कि वह भी अपने सांसदों से इस तरह से लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कहे।

सांसद बने ग्राम प्रधान

16 वी लोक सभा के सांसदों ने जब से गाँव को गोद लेना शुरू कर दिया है जिस गाँव को पह गोद ले रहे हैं वहाँ के ग्राम प्रधान बेरोजगार हो रहे हैं और सांसद ग्राम हा प्रधान बन

गये हैं। मोदी जी की यह योजना तो काफी अच्छी है परन्तु इसमें कई चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया है कि सांसद गाँव को गोद लेगा या पूरे ग्राम पंचायत को गोद लेगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कई छोटे-छोटे गाँव आते हैं। दूसरे जिस गाँव को गोद लिया जायेगा उसमें सांसद को बड़ी-बड़ी सुविधा देनी हो। अगर ग्राम पंचायत

को न गोद ले कर सिर्फ गाँव को गोद लिया जायेगा तो उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए। गाँव के विकास की जिम्मा ग्राम प्रधान का होता है। विधायक अपने पूरे विधान सभा के विकास का काम करता है। सांसद अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की विकास का

काम करता है। यदि सांसद एक गाँव को गोद ले गा और विकास करेगा तो बाकी गाँव वाले जो सांसद जी को चुन कर भेजे हैं उनका क्या होगा और वे फिर दूबारा उस सांसद को क्यों चुने

गे जो अन्य गाँव को गोद नहीं लिया। गोद लिए गाँव के विकास के लिए पैसा कहाँ से आये गा इत्यादि। सरकार और हमारे सांसद यदि ईमानदारी से काम करे और जो पैसा सामान्य तौर से ग्राम प्रधानों को गाँव के विकास के लिए दिया जाता है सही तरीके से उपयोग हो और सांसद, ध्यान दे सांसद निधि का सही उपयोग करे तो सांसद पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। हमारे यहाँ विकास का

कार्य धनअभाव के कारण नहीं भ्रष्टाचार, आर्क—के कारण नहीं होपाता है। सांसद को सांसद ही रहने दिया जाय ग्राम प्रधान न बनाया जाय उन्हे काम करने के मजबूर किया जाय यदि काम न करे तो का कानून बनाया जाय। (राजेश मिश्रा)



इस संसार में हकीकत में कौन क्या है...

सिनेमा	पैसा देकर कैद होने का स्थान
जेल	बिना पैसे का हास्टल
सास	बहू के पीछे छोड़ा गया बिना पैसे का जासूस
चिंता	वजन कम करने की सबसे सस्ती दवा
मृत्यु	बिना पासपोर्ट के पृथ्वी से जाने की छूट
ताला	बिना वेतन का चौकीदार
मुर्गा	देहात की अलार्म घड़ी
झगड़ा	वकील का कमाउ बेटा
चश्मा	जादुई आँख
स्वप्न	बिना पैसे की फिल्म
हॉस्पिटल	रोगियों का संग्रहालय
शमशान	दुनिया का आखिरी स्टेशन
ईश्वर	किसी से मुलाकात न करने वाला व्यवस्थापक
चाय-कॉफी	कलयुग का अमृत
विद्वान	अक्ल का ठेकेदार
चोर	रात का शरीफ व्यापारी
विश्व	एक महान धर्मशाला

सत्य वचन

बगुले से एक। मुर्गों से चार। कौवे से पाँच। कुत्ते से छह। और गधे से तीन। शेर से एक यह बढ़िया बात सीखे की आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इन्द्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे।

मुर्गों से चार बातें सीखें...

- सही समय पर उठें।
- नीडर बने और लड़ें।
- संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बटवारा करे।
- अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे।

कौवे से ये पाच बातें सीखें...

- अपनी पत्नी के साथ एकांत में

- प्रणय करे। ■ नीडरता
- उपयोगी वस्तुओं का संचय करे।
- सभी ओर दृष्टि घुमाये।
- दुसरो पर आसानी से विश्वास ना करे।

कुत्ते से ये बातें सीखें

- बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करे।

- गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए।

- अपने स्वामी के प्रति बेहिचक इमानदारी रखे ■ नीडरता।

गधे से ये तीन बातें सीखें

- अपना बोझा ढोना ना छोड़े।
- सर्दी गर्मी की चिंता ना करे।
- सदा संतुष्ट रहे।

(नरेंद्र सक्सेना)

66 वर्षों बाद भी देश की हालत जस की तस

(महेंद्र कुमार पांडेय पूर्व शासकीय अधिवक्ता भारत सरकार)

देश को आजाद हुए लगभग 66 वर्ष गुजर गए लेकिन आज भी देश की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। गरीबों के नाम से हजारों योजनाएँ चलायी गईं लेकिन आज तक ये योजनाएँ सिर्फ अमीरों के हित साधती रहीं। एक तरफ अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है, वहीं पर एक नजर गरीबों की झोपड़ियों की तरफ देखी जाए तो आजादी की हकीकत साफ दिखायी देती है। गरीबों की हालत जैसे 66 वर्ष पहले थी, वैसी ही आज भी है। अमीर और अमीर हो गए, गरीब आज भी गरीब बने हुए हैं। सरकार व उनके अधिकारियों से पूछा जाए कि क्या सरकार द्वारा जारी ये सुविधाएँ गरीबों तक पहुँच भी पा रही हैं? क्या गरीब आवास, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आँगनबाड़ी का पुष्टाहार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सारी सुविधाएँ गरीबों को मिल पा रही हैं? अगर इन सवाला को गरीबों से पूछा जाए तो एक ही उत्तर मिलेगा — नहीं। आज किसानों व गरीबों की वो हालत है कि वे भुखमरी के कारण मजबूर होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं। गरीबों के नाम पर सिर्फ

शोषण किया जा रहा है। आज भी गाँव का गरीब दिन भर मेहनत—मजदूरी करता है तब मुश्किल से गुजारे लायक कमा पाता है। असंख्य गरीब ऐसे हैं जिनके पास न तो अपना सिर छुपाने के लिए मकान है, न दवा के लिए पैसे हैं, न शिक्षा के लिए पैसे हैं, बस जैसे—तैसे अपने अरमानों का गला घोट कर जी

गल्ला, जरूरतमंदों को न देकर सरेआम बाजारों में बेचा जा रहा है, फिर भी हम चुप क्यों हैं? देश की आन्तरिक दशा इतनी दीन—हीन और कमजोर कैसे हो गयी? यह युक्त प्रश्न आज हर भारतीय के सामने मुँह बाए खड़ा है। भौतिक विकास से लेकर लगभग हर क्षेत्र में हम पिछड़े क्यों साबित हो रहे हैं? हमारी

सीमाएँ हमसे लगातार छिनती क्यों जा रही हैं। आँखें बंद कर समस्या से अनजान बनने का नाटक बड़ा भयावह है। हमारी नैतिक विरासत तार—तार हो रही है। मानवीय मूल्यों का लगातार क्षरण हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? सत्ता में बैठे लोग जनता के धन की लूट कर रहे हैं, नित नये घोटाले जैसे कि कोयला ब्लॉक आवंटन में 18,599 करोड़ के घोटाले का खुलासा नियंत्रक महालेखाकार (कैग) ने किया। 1.76 लाख करोड़ के 2जी स्पेक्ट्रम व 77,000 करोड़ के कामनवेल्थ का पर्दाफाश भी कैग ने किया। 370 करोड़ के हेलीकॉप्टर रिश्वत कांड की

यह कैसी आजादी?



रहा है। भारत गाँवों का देश है, जहाँ देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ किसान व मजदूर बसते हैं। इनके विकास के नाम पर देश व प्रदेश के बजट में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया जाता है, लेकिन क्या इस धन का सही इस्तेमाल कहीं दिखाई देता है। रोजगार गारण्टी का 20—25 हजार करोड़ का बजट प्रतिवर्ष गरीबों की गरीबी दूर करने की जगह भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उस दिन उस पर बीस हजार रुपये से ज्यादा का राष्ट्रीय कर्ज लद जाता है। वहीं लगभग 3.11 लाख करोड़ रुपया (In March 2012] the Government of India clarified in its parliament that the CBI Director's statement on \$500 billion of illegal money was an estimate based on a statement made to India's Supreme Court in July 2011) काले धन के रूप में विदेशों में जमा है, फिर भी हम कर्जदार क्यों हैं? गरीबों का सरकारी

पोल इटली में खुली। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, वाज़्रा भूमि आवंटन घोटाला, ट्रेजरी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला और न जाने घोटालों की फाइलों को दबा दिया गया या फिर जला दिया गया। 2009 के आम चुनावों में किसानों के वोट बटोरने के लिए 52 हजार करोड़ की ऋण माफी की घोषणा की जिससे 3.45 करोड़ किसानों को प्रभावित करने और उनसे वोट लाभ लेने की योजना थी लेकिन कैग की ताजा रिपोर्ट में यहाँ भी 20.50 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार पाया गया। यह आँकड़ा तब है जब सिर्फ 90,576 खातों की ही जाँच हुई। वित्त मंत्रालय से जुड़े एक विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया था। मंत्रालय ने कर्ज माफी को वास्तविक लाभार्थी तक पहुँचाने का कोई तंत्र नहीं बनाया। कर्ज माफी लायक किसानों की सूची भी नहीं बनाई। चुनावी लाभ के लिए ही आनन—फानन में कर्ज माफी का एलान हुआ और राजकोष लुट गया।

(शेष अगले अंक में)

स्वर्ग लोक का मंत्री मंडल

राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
गृहमंत्री
वित्तमंत्री
रक्षामंत्री
शिक्षामंत्री
उर्जा मंत्री
दूरसंचार मंत्री
इस्पात एवं खान मंत्री
मानव संसाधन मंत्री
केंद्रीय पर्यटन मंत्री
खाद्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री
सूचना प्रसारण मंत्री

विष्णु जी
शंकर जी
विश्वकर्मा जी
लक्ष्मी जी
हनुमान जी
सरस्वती जी
सूर्यदेव जी
वरुण जी
शनि देव जी
इन्द्र देव जी
गरुण देव जी
गणेश जी
ब्रह्मा जी
नारद मुनि जी

Lok Jagriti

Monthly News Magazine of Lok Jagriti R.N.I. NO. UPHIN/2011/39809

Esteemed Subscriber,

Lok Jagriti owes a lot to its subscribers, for it is their support and belief in our Endeavour that makes Lok Jagriti a success. We want this support to continue. So please to continue. So please remit your subscription for 2015-2016/become new member (yearly/life)

Thanking you

Lok Jagriti

To,
Lok Jagriti
Sector-III A /95 Vaishali
Ghaziabad U.P.201010

Name.....
Address.....
.....
State..... Pin.....
Tel..... Mob.....
E-mail.....

Sir,

I desire to renew my subscription to Lok Jagriti for year 2015-2016 . I am sending Cash /Cheque/DD No.....Dated.....Rs.200/-for a year/Rs.5000/- as life membership drawn onin favour of Lok Jagriti payable at Ghaziabad.

Date:
Faithfully
Place:

Yours

(Signature)

56 वर्ष का हुआ अफसफा कानून

छप्पन साल से अफसपा जैसे जनविरोधी कानून के किसी प्रदेश या क्षेत्र में लागू रहने को देश की राजनीतिक सत्ता की विफलता के सिवा और क्या कहा जा सकता है जिससे पूरी एक पीढ़ी लोकतांत्रिक अधिकारों के स्वाद से वंचित ही दुनिया से चली गई अब देखना यह है कि गुलामी की हर निशानी को मिटा देने का नारा देना वाली पार्टी की सरकार अंग्रेजों की दमनकारी निशानियों में से एक अफसपा को खत्म करने का साहस करती है?

सड़सठ साल की आजादी में अफसपा आम्डे फोर्सेज स्पेशल पॉवर एट अब छप्पन साल का हो चुका है इस लो. कतंत्र विरोधी कानून के खिलाफ इरोम शर्मिला चानू का अनशन पंद्रह साल से जारी है दोनों ओर दिया जल रहा है हवा चल रही है की तरह जारी है लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है शर्मिला पर आत्महत्या के प्रयास का मुकदमा दुनिया का सबसे लंबा अनशन कर रही इस मणिपुरी लौह महिला को 5 नवंबर 2000 को अनशन शुरू करने के तीन दिन बाद ही आत्महत्या के प्रयास के फर्जी मुकदमे के तहत गिरफतार कर लिया गया तब से उसे हिरासत में रखा गया है और नाक के रास्ते खुराक दी जाती है कितना हास्यास्पद है यह आरोप और किस तरह से हमारी व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को फर्जी तरीके से फंसाया जाता है उसका जीवंत उदाहरण है।

यह मुकदमा तेरह साल बाद जब अदालत ने शर्मिला को इस फर्जी मुकदमे से बरी कर दिया तो केवल हिरासत में रखने के उद्देश्य से तीन दिन बाद ही इसी आरोपमें उनको दोबारा गिरफतार कर लिया गया तो क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विरोध जताने के लिए गांधी का तरीका अपनाना भी कानूनी अपराध है या अब हमारे शासक वर्ग की प्राथमिकता समस्या का निराकरण नहीं बल्कि विरोध के स्वर का दमन करना है? लोकतंत्र में अपनी मांगों के समर्थन में अनशन करना शांतिपूर्ण विरोध का अंतिम विकल्प होता है और इस पर दमन की नीतियां अशांति की तरफ ले जाती है यहा यह सवाल भी महत्वपूर्ण कि अफसपा जैसा कानून संविधानिक अधिकारों के दमन के रास्ते से अब खुद लोकतंत्र को चुनौती देने वाली समस्या बन चुका है इसका समाधान ढूँढना हमारे शासक वर्ग की प्रथमिकताओं में है भी या नहीं?

अफसपा के तहत सशस्त्र बलों को प्राप्त अधिकार खुले तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार और गिरफतारी/हिरासत से सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है दुनिया भर में बहस चही है कि मृत्युदंड के कानून को खत्म किया जाना चाहिए लेकिन भारत में अफसपा और कानून अब भी लागू है जिसमें किसी जवाबदेही के बगैर मात्र शक के आधार पर गोली तक चला देने की आजादी है जिन राज्यों को या क्षेत्रों को अशांत घोषित करके अफसपा लागू किया गया है वहां से सेना के खिलाफ बिना कारण बताए या बिना वारंट के गिरफतारी, गैरकानूनी हिरासत, टॉर्चर, यौन उत्पीड़न और बलात्कार और जैसी बेशुमार घटनाएं सामने आई है मणिपुर में जवानों द्वारा बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ महिलाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया उन्होंने बैनर उठा रखे थे जिस पर लिखा था भारतीय सेना आओ हमारे साथ बलात्कार करो जाहिर सी बात है कि अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए महिलाओं का इस हद तक चला जाना उनकी विकल्पहीनता और मानसिक पीड़ा को दर्शाता है किसी लो. कतांत्रिक व्यवस्था और सभ्य समाज के लिए इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है लेकिन जब भी अफसपा को समाप्त करने की चर्चा शुरू हुई है सेना और दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों और संगठनों की तरफ से इसका तीखा विरोध हुआ है



हकीकत

तुम्हारी फाइलों में गॉव का मौसम
गुलाबी है
मगर ये ओंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी
है

तुम्हारी मेज चोंदी की, तुम्हारे जाम सोने
के
यहाँ जुम्न के घर में आज भी फूटी
रकाबी है

इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर
क्या दिया
सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास
की

काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में
उतरा है रामराज्य विधायक निवास में
पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत
इतना असर है खादीके उजले लिबास में

कितने बेबस हैं ये फुटपाथ पर सोने
वाले
गो परिवों को भी घर की तालाश होती
है

जेल में जंगलराज

नीतीश कटारा हत्याकांड के अभियुक्तों विकास और विशाल को सजा सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की जेल प्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि इन दोनों ने जेल प्रशासन और मेडिकल एक्सपर्ट से मिलीभगत कर तमाम तरह की सुविधाएं हासिल कीं। ये उम्र कैद की सजा काटने के दौरान बार-बार जेल से अस्पताल गए। दरअसल इस बहाने दोनों ने आउटिंग की या फिर प्राइवेट वॉर्ड में भर्ती होकर मजे करते रहे। हाईकोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी के जरिये जेल तंत्र की एक बड़ी बीमारी की ओर इशारा किया है। एक तरफ जेलों कछावर अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस बन गई हैं दूसरी ओर कमजोर कैदियों के लिए वे नरक बनी हुई हैं। अब फांसी की सजा एकदम असाधारण मामलों में ही दी जाती है। ऐसे में अदालतों के पास दोषियों को दंडित करने का सबसे बड़ा जरिया सश्रम कारावास ही बचा है। बचा है। पर हमारे देश के जेल सिस्टम ने कैद बामशकत को मजाक बनाकर रख दिया है। लगभग हर थोड़े महीने पर देश की किसी ना किसी जेल से नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ए जाने की खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी पता चलता है कि ताकतवर कैदी वहां वीआईपी जैसी जिंदगी बिता रहे हैं और वहीं से अपहरण और रंगदारी का धंधा चला रहे हैं, तो कभी सुनने में आता है कि अपराधी जेल तोड़कर भाग गए। कभी कैदियों के बीच मारपीट और उनकी मौत की खबर आती है। दरअसल जेलों में भी हमारे सिस्टम की तरह ही विषमता का बोलाबाला है। जो पावर स्ट्रक्चर समाज में है, दुर्भाग्यवश उसी के दर्शन जेलों में भी हो रहे हैं। कमजोर कैदियों के लिए वहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ज्यादातर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं। इस कारण वे बेहद अस्वास्थ्यकर स्थितियों में रहते हैं। उन्हें समय पर जीवनरक्षक दवाएं तक नहीं मिल पाती। कुछ साल पहले तिहाड़ में कई कैदियों की मौत से इस कड़वे सच का खुलासा हुआ था। यही नहीं, मामूली अपराध के लिए बंद रहने के बावजूद साधारण कैदियों की जी-हुजूरी भी करनी पड़ती है। गौरतलब है कि जेल राज्यों का विशय है, फिर भी इंदिरा गांधी सरकार ने जेल सिस्टम में सुधार के लिए जस्टिस ए. एन. मुल्ला कमिटी का गठन किया था। 1983 में इस कमिटी ने सुझाव दिया कि जेलों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाए, ताकि केंद्र भी उनके लिए कायदे बना सके। इस सिफारिश पर कभी अमल नहीं हुआ। इस वक्त केंद्र का नियंत्रण केवल दिल्ली और संघ शासित क्षेत्रों की जेलों पर ही है। सच तो यह है कि जेलों में सारा कामकाज अब भी उन्हीं कानूनों के सहरे चलता है, जो अंग्रेजों ने 1894 में बनाए थे। हमारे पास जेलों को लेकर कोई नैशनल पॉलिसी नहीं है, इसलिए हर राज्य इसे अपने तरीके से चला रहा है। जरूरत इस बात की है कि जेलों की दशा सुधारने के लिए केंद्र अपने स्तर से कोई पहल करे।



न्याय या अन्याय प्रणाली

भारतीय न्याय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि कोई अपराधी अपराध करता है और बाद में वह अपराध मुक्त या निर्दोष छूट जाता है तो उसे खुशी मनाने का अवसर होता है और वह न्यायिक निर्णय से खुश होता है परन्तु यदि निर्दोष व्यक्ति लम्बी कानूनी लड़ाई और जेल की हवा खाने के बाद निर्दोष साबित होता है तो उस समय वह किस बात की खुशी मनाए, कि वह निर्दोष था और वही हुआ भी तो उसके लिए इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई में जो खर्च हुआ है और जो परेशानी हुई है उसकी और जिसके द्वारा उसे फंसाया गया

उसे कुछ भी सजा या दण्ड का प्रावधान न होने के कारण भारतीय न्याय प्रणाली एक तरह से उनके लिए तो ठीक है जो अपराधी है। सजा हो गयी तो भी ठीक व बाइज्जत बरी हो गए तो खुशी मनाने का अवसर होता है परन्तु जो बेकसूर हैं उनके लिए यह न्याय प्रणाली पूरी तरह से अन्याय प्रणाली की तरह है। हमारा सुझाव है कि चूंकि आपराधिक कानून प्रक्रिया में राज्य एक पार्टी होती है तो यदि कोई व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो उसे राज्य की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए और जिसके कारण एक निर्दोष व्यक्ति

को इतनी परेशानी हुई है उसे भी एक न्यूनतम दण्ड का प्रावधान होना चाहिए जिससे की झूठे केसों में कमी आयेगी, निर्दोष व्यक्ति परेशान नहीं किया जाएगा देश में मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार होगा और उसके काम के बोझ में कमी आयेगी। वह लोगों की सुरक्ष में ध्यान दे पायेगी। जेलों की दशा में सुधार होगा, उसकी भीड़ भी कम होगी सामा. जिक सुधार होगा, लोग का जीवन सुधरेगा घरों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। आपसी दुश्मनी को कम किया जा सकता है।

मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस—वे पर उतरा मिराज—2000 फाइटर विमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ध्यान में रखते हुए मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस—वे पर आज इंडियन एयरफोर्स का फाइटर विमान उतारा गया। यह एक प्रयोग था, जो सफल रहा। वायुसेना के विमान मिराज—2000 को सुबह लगभग 7 बजे उतारा गया।

गौरतलब है कि वायुसेना की तरफ से इस बात की जांच की जा रही थी कि क्या इमरजेंसी हालत में दिल्ली—लखनऊ के बीच एक्सप्रेस—वे पर फाइटर प्लेन को उतारा जा सकता है या नहीं। ज्ञात हो कि इस स्थान से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को जनसभा भी करने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहां सुरक्षा का हाईटेक रिहर्सल किया गया। ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे को तड़के तीन बजे से ही आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस कारण से एक्सप्रेस वे पर बहुत देर तक जाम के हालात बने रहे। कई गाड़ियां दोनों तरफ बहुत देर तक जाम में फंसी रहीं। जबकि रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल डी किलर का मानना है कि दुश्मन के हमले के समय रोड को भी रनवे बनाना पड़ सकता है। आज का प्रयोग इस लिहाज से भी किया गया हो सकता है। दूसरे देशों में ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, पर भारत में यह पहला मौका है जब रोड पर फाइटर प्लेन की सफल लैंडिंग कराई गई है।



सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिए गए दिशा निर्देश

1— पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस दल में शामिल सभी व्यक्तियों को स्पष्ट दिखाई देने वाला परिचय पत्र और नेम प्लेट होनी चाहिए जिसमें उसका पद नाम भी लिखा हो। गिरफ्तारी की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होना जरूरी है।

2—पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए एक मिमो तैयार करेगी जिसमें गिरफ्तारी का समय और उसमेकम से कम एक व्यक्ति की गवाही होगी जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का व्यक्ति या उस क्षेत्र का कोई सम्मानित व्यक्ति होगा जहाँ यह गिरफ्तारी हुई है। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति की भी हस्ताक्षर होगी जिसमें दिनांक और समय लिखना होगा।

3—जो व्यक्ति गिरफ्तार करता है वह गिरफ्तार व्यक्ति के एक मित्र, रिश्तेदार, या अन्य जिसे वह जानता है उसके कल्याण के लिए सूचित करना होगा जल्दी से जल्दी जैसा व्यवहारिक हो, जिसमें उसकी गिरफ्तारी जगह को बताना होगा, जबतक कि साक्ष्य मिमो में उसके मित्र या रिश्तेदार की गवाही न हो।

4—पुलिस द्वारा समय, स्थान और गिरफ्तारी के कारण पुलिस को करना होना, यदि गिरफ्तारी के कारण पुलिस को सूचित करना होना, यदि गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र या रिश्तेदार दूसरे जिला या शहर में हो जिला के स्महंस पकएवतहंद. पेंसपवद और पुलिस स्टेशन को गिरफ्तारी के 8 से 12 धारा के अन्तर गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी।

5—जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे यह अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी किस कारण किया गया है।

6—पुलिस को डायरी में गिरफ्तारी का स्थान गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और उसके मित्र या रिश्तेदार जिसको की गिरफ्तारी की सूचना दी जाय, और उस पुलिस अधिकारी नाम और अन्य विवरण जिसने गिरफ्तारी की है।

7—गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के समय कर सकता है उसकी गिरफ्तारी के समय छोटी या बड़ी घाव यदि उसके शरीर पर है तो वह पदेचमबसद उमउव पर दर्ज होना चाहिए और उस पर गिरफ्तार व्यक्ति और पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसकी एक छाया पति गिरफ्तार व्यक्ति को देनी चाहिए।

8—गिरफ्तार व्यक्ति की डाक्टरी जांच प्रत्येक 40 घण्टे पर कुशल डाक्टर द्वारा होनी चाहिए, एक डाक्टर का पैनल स्वास्थ्य सेवा द्वारा राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जायेगा हर तहसील एवं जिला के लिए।

9—इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ पर सभी कागज जिसमें गिरफ्तारी मिमो भी शामिल होगा भेजना होगा।

10— गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के दौरान अपनेवकील से मिलने की अनुमति होगी पुलिस पूछतास के दौरान।

11—पुलिस कटोल रूम में गिरफ्तारी के 12 घण्टे के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा और पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी को नोटिस बोर्ड में दर्द कर दिया जायेगा।

नजरों के लिए

9- प्रातःकाल उठकर मुंह की लार काजल की तरह अपनी आंखों में लगाएं।

2- त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। 9-9 चम्मच प्रातः काल और रात्रि में सोते समय।

3- इसके साथ ही 9- चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात्रि में थोड़े जल में भिगो दें। प्रातः काल उस जल को छान कर उससे अपने सिर और आंखों को धोएं।

4- स्नान के पश्चात अपने पैरों के अंगूठे को सरसों के तेल से भिगोएं।

5-दूध के साथ 9 चम्मच शतावर चूर्ण का प्रयोग करें।

कैंसर सहित कई बीमारियों के लिए गौ-मूत्र रामबाण

हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को 'मां' के रूप में पूजा जाता है। जर्मन के एक वैज्ञानिक अनुसार गौ-मूत्र सुबह खाली पेट पीने से कैंसर ठीक हो जाता है।

हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है की गाय प्राकृतिक कृपा की प्रतिनिधि है इसलिए इस की पूजा व रक्षा हर हिंदू का धर्म है।

वैदिक मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं इसलिए गौ सेवा करने से सभी 33 करोड़ देवता खुश होते हैं।

गाय एक शुद्धता सरलता, सौम्यता और

बी जैसी भयंकर बीमारियां दूर होती हैं। पेट से सम्बंधित साड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं।

4. हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्ज, रोग एवं शत्रु या किसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए।

5. हाथ-पैर एमें जलन हो तो गाय का घी लगाने से तुरंत आराम मिलता है।

6. शराब, गांजा या भांग का नशा ज्यादा हो गया हो तो गौ-माता के शुद्ध घी में दो तोला चीनी मिला कर पिलाने से 15 मिनट में नशा उतर जाएगा।

7. आग से जल जाने पर इन के शुद्ध घी

लाभकारी है।

गौ माता का दूध फेट रहित परन्तु शक्तिशाली होता है। उसे कितना भी पीने से मोटापा नहीं बढ़ता तथा स्त्रियों के प्रदर रोग में भी लाभदायक होता है।

गौ माता के गोबर के उपले जलने से मक्खी मछर आदि कीटाणु नहीं होते तथा दुर्गन्ध का भी नाश होता है।

गौ-मूत्र सुबह खाली पेट पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। गौ माता के सींगो से उन्हें प्राकृतिक उर्जा मिलती है। जो गौ माता की रक्षा कवच है।

गौमाता के गोबर में विटामिन बी-12 बहुत मात्रा में है। यह रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है।

गौ-माता के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी एकदम ठीक हो जाती है।

गौ-माता के शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगे आस-पास के वायुमंडल को प्रदूषणरहित बनती है।

गौ-माता के शरीर से प्राकृतिक रूप से गूगल की गंध निकलती है।

गौ या उसके बछड़े के रंभाने से निकलने वाली आवाज़ मंदिक विकृतियों तथा रोगों को नष्ट करती



सात्विकता की मूर्ति है। गौ माता की पीठ में ब्रह्म, गले में विष्णु तथा मुख में रुद्र निवास करते हैं। मध्यम भाग में सभी देवगण और रोम-रोम में सभी मछिषी वास करते हैं श्री कृष्ण को हम गोपाल कृष्ण गोविन्द कहते हैं अर्थात गौ के पालनहार। गौ-माता पृथ्वी, ब्रह्ममण और देव की प्रतीक है। गौ रक्षा, गौ संवर्धन हिन्दुओं के आवश्यक कर्तव्य माने जाते हैं। सभी प्रकार दान में गौ-दान सर्वोपरि माना जाता है।

गौ माता की सेवा के वैज्ञानिक आधार-औषधीय गुण

1. गौ-माता का दूध अमृत के सामान है। इनके दूध से दूध घी, माखन से मानव शरीर पुष्ट होता है और बूढ़ी तीव्र होती है।

2. गौ-माता के दूध से चुस्ती, स्फूर्ति एवं सकारात्मकता बनी रहती है।

3. गौ-माता का मूत्र पीने से कैंसर एवं टी.

को लगाने से फफोले नहीं पड़ते एवं जलन भी कम हो जाती है।

8. बच्चों को सर्दी कफ हो जाने पर उनकी छाती एवं पीठ पर गाय का घी लगाने से अद्भुत आराम मिलता है।

9. यदि सांप काट ले तो 100 से 150 ग्राम गाय का शुद्ध घी पिला कर 45 मिनट बाद गर्म पानी पिलाने से उलटी दस्त लग जाएंगे। जिससे ज़हर का असर कम हो जाएगा।

वैज्ञानिक महत्व

गाय धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आक्सीजन ग्रहण करता है। साथ ही आक्सीजन ही छोड़ता है।

गाय के मूत्र में पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया एवं यूरिक एसिड होता है।

दूध देते समय गाय में मूत्र में लाक्टोसे की वृद्धि होती है, जो हृदय रोगों के लिए

है।

इन सभी तथ्यों की जर्मन के कृषि वैज्ञानिक डॉ. जुलिशुस एवं डॉ. बुक ने भी पुष्टि की है।

अमरीकन वैज्ञानिक जेम्स मार्टिन के अनुसार गाय का गोबर एवं खमीर को समुद्र के पानी के साथ मिला कर ऐसा केमिकल बनाया जो बंजर भूमि को हरा-भरा कर देता है। सूखे तेल के कुए में फिर से तेल आ जाता है।

गौ मॉस खाने वाले सावधान

यूनानी चिकित्सा के अनुसार गाय का मॉस बड़ा सख्त होता है। तथा पचाने में कठिन होता है। इस कारण से खून गाढ़ा हो जाता है। पीलिया तथा कोढ़ जैसी बीमारियां पैदा होती है।

हर मानव का कर्तव्य एवं धर्म है की पर्यावरण और मानव जाति के उत्थान एव कल्याणार्थ गौ-माता की रक्षा करें।

कंगना सीखेंगी फिल्म एडिटिंग!

बीते 10 महीनों में कंगना रनोट ने कई फिल्मों के प्रस्ताव टुकराए हैं। 'ष्वीन' और 'पतनु वेड्स मनु रिटर्न्स' की सुपर सक्सेस के बाद उनके फिल्मों को चुनने के पैमाने ही बदल गए हैं। पाकिस्तान में बंद रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर फिल्म वे हंसल मेहता के निर्देशन में ही करना चाहती थी। हंसल फिल्म से अलग हुए कि कंगना ने भी छोड़ दी। रीमा कागती की सैफ के साथ 'षमिस्टर चालू' भी वे छोड़ चुकी हैं। सुजॉय घोष की 'षुर्गा रानी सिंह' भी रचनात्मक मतभेदों के चलते छोड़ी। 'षरिवाल्वर रानी' की असफलता के बाद निर्देशक साई कबीर द्वारा निर्देशित अगली फिल्म 'षडिवाइन लवर्स' भी उन्होंने रोक दी। जबकि ये इंडो-फ्रेंच प्रोजेक्ट था। इसमें उनके साथ इरफान खान काम करने वाले थे। तिग्मांशु धूलिया मीना कुमारी की बायोपिक कंगना को लेकर बनाने वाले थे लेकिन खबर है कि यह प्रोजेक्ट भी फिलहाल रुका है। सूत्र बताते हैं कि कंगना की 'डेब्यू फिल्म 'षौंगस्टर' के निर्देशक अनुराग बसु भी उन्हें लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। नजदीकी सूत्र कहते हैं, 'षकंगना पारंपरिक नायिकाओं के किरदार अब बिलकुल नहीं करेंगी। वे आमिर खान की तरह बहुत सोच-समझकर सार्थक और पके हुए रोल ही चुनेंगी। दो नायिका केंद्रित हिट्स के बाद वे अपने बूते बॉक्स ऑफिस संभाल सकती हैं। अगली फिल्म वे बहुत सोच-विचार के बाद तय करेंगी। कई फिल्मों को वे ना कह चुकी हैं। अपनी आगामी फिल्मों के बारे में कंगना ने कहा, 'षमुझे खुद नहीं पता मेरी अगली फिल्म कौन सी है। मुझे 5-6 प्रोजेक्ट्स पर फैंसला लेना है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की रिलीज तीन हफ्ता पहले होने से मैंने सभी प्रोजेक्ट रोक रखे हैं। जल्द ही अगली फिल्म का फैंसला लूंगी। (एजेंसी)



लोक जागृति वृद्धाआश्रम को इनवर्टर दान करते बाएं से संस्था अध्यक्ष श्री संतोष कुमार मिश्रा, सीए श्री नीरज बंसल, प्रनित बंसल, जवाहर प्रसाद (संस्था सचिव) व अनिल शुक्ला (संस्था उपाध्यक्ष)।

संजय दत्त की बायोपिक में रणबीर संग दिख सकती हैं दीपिका

मुंबई. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने एक्स-बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ अपक. मिंग फिल्म शतमाशा में काम कर रही हैं। ताजा खबर यह है कि इसके बाद एक बार फिर वे और रणबीर साथ काम करते नजर आएंगे। यह फिल्म होगी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही संजय दत्त की बायोपिक। फिल्म में संजय दत्त के किरदार के लिए लिए कथिततौर पर रणबीर को पहले ही कास्ट कर लिया गया है और फीमेल लीड के लिए हिरानी ने दीपिका को लेने को फैंसला किया है, जो संजय की पत्नी की भूमिका में होंगी। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, 'ष्राजू श्पिकू' में दीपिका के परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हैं। फिल्म की सक्सेस बैश के दौरान उन्होंने दीपिका की जमकर सराहना की। इतना ही नहीं, दोनों को करीब आधे घंटे तक बातों में मशगूल भी देखा गया। माना जा रहा है कि राजू दीपिका से उनकी अगली फिल्म (संजय दत्त की बायोपिक) में काम के लिए कहा है। हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। (एजेंसी)

सरकारी विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

यह दिशा निर्देश सभी सरकारी विज्ञापनों पर लागू होंगे, चाहे वह संस्थान हो, पब्लिक सेक्टर उद्यम हो या लोकल वॉर्ड, अन्य स्वतंत्र उद्यम या संस्थान हो। विज्ञापन में सरकार की पार्टी का नाम नहीं होगा, राजनीतिक चिह्न, लोगो वा झण्डा नहीं प्रयोग होगा। राजनीतिक पार्टी द्वारा जनता को प्रभावित करने वाला नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक पार्टी या राजनेता को वेबसाइट आदि का लिंक नहीं होगा।

सरकारी विज्ञापन में राजनैतिक नेताओं की फोटो नहीं होगी यदि बहुत आवश्यक है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्यपाल/मुख्यमंत्री का प्रयोग किया जा सकता है।

1-विज्ञापन न्यायसंगत और प्रभावी कम लागत का होना चाहिए।

2-एक सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रम द्वारा एक ही तरह का विभिन्न विज्ञापन पर रोक होनी चाहिए, केवल एक ही विज्ञापन दिये जाने चाहिए।

3-विज्ञापन केवल आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए।

4-विज्ञापन जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा, की सलाह एवं नौकरी के लिए होना



चाहिए।

5-यदि विज्ञापन बड़े स्तर पर हो रहा है तो विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा।

6-सरकारी विज्ञापन के लिए कानूनी

मापदण्ड और वित्तीय नियमों को पालन करना जरूरी होगा। जो निम्नलिखित है।

1-सरकार एक लोक पाल की नियुक्ति करेगी जो शिकायत प्राप्त करेगा और उस पर कार्यवाही करेगा जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा।

2- सरकारी विभाग के अध्यक्ष और प्रतिनिधि इसके लिए उत्तरदायी होंगे यदि वे दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं।

3 मंत्रालय एवं सरकारी विभागों में एक अलग अंकेक्षण होगा जो विज्ञापन के दिशा के सम्बन्धित रिपोर्ट देगा।

4 - मंत्रालय एवं सरकारी विभाग वार्षिक रिपोर्ट में यह बतायेगा कि कितना पैसा विज्ञापन में खर्च हुआ है।

5- उपरोक्त सभी दिशा निर्देश पहले दिये गये दिशा निर्देशों के अलावा है जो सरकारी विज्ञापन की नीतियां रही हैं।

6- लोक पाल दिशानिर्देश में परिवर्तन कर सकता है परिस्थितियां एवं विशेष मौकों पर।

Suresh pandey Mob-9810514888

INDIAN/FOREIGN BOOKS, JOURNALS
NEW/OLD (LAW BOOKS), BACK VOLUMES
& SUBSCRIPTIONS SUPPLIER

(SK)

SK ACADEMIC PUBLISHING PVT.LTD

E-252/4, West Vinod Nagar, Delhi-110092
Email: - suresh66pandey@gmail.com
pandeyasureshk@gmail.com

आवश्यकता है

निर्भीक संवाददाताओं और विज्ञापनदाताओं की। आप पत्रकार हैं, मगर आपकी खोजी रिपोर्ट दबाई जा रही है तो हमें भेजें।

लोक जागृति पत्रिका

95, सेक्टर 3ए, वैशाली,
गाजियाबाद, उप्र
9810960818

लोक जागृति (NGO)

लोक जागृति की स्थापना श्री स्वामी नारायण जी की प्रेरणा से की गई है। यह संस्था 80G में रजिस्टर्ड है। जिसका निम्नलिखित उद्देश्य है

- वृद्ध आश्रम की स्थापना करना।
- लोगों को जागृत करने के लिए 'लोक जागृति पत्रिका' का प्रकाशन।
- लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना।
- गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों एवं असहाय लोगों की सहायता करना।
- अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करना।
- लोगों को अपने कर्तव्य एवं अधिकारों की जानकारी प्राप्त कराना।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन देना।
- धार्मिक जागरूकता फैलाना।

यदि आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो सम्पर्क करें

95, सेक्टर 3ए, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र.

मोबाइल : 9810960818 ई मेल : lokjagriti@gmail.com, Website:- www.lokjagriti.com

लव केयर फाउंडेशन : सपनों की उड़ान

लवकेयर फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से पिछड़े वर्ग के लोगो के उत्थान के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। श्री संजू दादरु नेशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में, जिन्होंने हर रूकावट को चढ़ती सीढ़ी का पग समझा, उनके मार्गदर्शन से 21 नान फार्मल स्कूल और 8 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर न केवल दिल्ली बल्कि हिमाचल, जम्मू, भिवाड़ी और बिहार आदि में शुरू हो चुके हैं।

इन सेंटर्स पर बच्चों की पढ़ाई और सेहत के विकास का पूरा ध्यान दिया जाता है। समय समय पर हेल्थ कैम्पस लगवा कर उन्हें अच्छी सेहत के बारे में जानकरी से अवगत कराया जाता है।

लवकेयर फाउंडेशन के व्यवसायिक प्रशिक्षण के मध्यम से आत्मनिर्भर हो कर यह बच्चे अपने सपनोंको उड़ान देने में सफल होंगे। हमारी संस्था का यह लक्ष्य है कि वह बच्चे किसी भी कठिन स्थिति में स्वयं को असहाय महसूस न करें बल्कि स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बनें। "स्वतंत्र जी ने की लगन हर व्यक्ति की चाह है।

स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता ही इसकी एक मात्राह है।"

हमारे समाज में प्रतिदिन छुआछुत की विडंबना से दो चार होना पड़ता है। कानून बनने के बाद भी यह समस्या मुँह बायें खड़ी है। बहस तो बहुत होती है पर शून्य ही प्राप्त होता है। हमारी संस्था इस अभिशाप को भी दूर करने के लिए पूरी तरह कार्यरत है। फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम में इस प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए उन्हें जागरूक किया जाता है ताकि जब बुराई को जड़ से मिटाया जा सके।

जब कभी अहम पर नियति चोट देती है,

कुछ बड़ी चीज, अहम से बड़ी, जन्म लेती है।

हमारी संस्था नारी को समाज में यथायोग्य सम्मान दिलाने का अथक प्रयास कर रही है। जैसे किसी देश के विकास के लिए समाज का विकास जरूरी है वैसे ही समाज के विकास के लिए नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्रहोना अति आवश्यक है। हमारी संस्था नारी को स्वावलंबी, सुदृढ़ तथा सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है।

1980 के मध्यांतर तक HIV/AIDS से पश्चिमी देश जूझ रहे थे। तब तक एशिया इस बिमारी से अनभिज्ञता पर 1990 के आरंभ

में एशिया भी इसकी चपेट में आ गया। भारत के अलग अलग प्रदेशों में इसका प्रभाव भी अलग अलग देखा गया। सरकार और एनजीओ के सामूहिक सहयोग से यह बिमारी नियंत्रण में है।



यद्यपि अभी इस बिमारी के रोगी नहीं बढ़ रहे पर समाज की धारणा को बदले बिना इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसी क्षेत्रमें हमारी संस्था लोगों को जागरूक करने के लिए सलग्न है। उनके इलाज का प्रबन्ध किया जाता है। नुककड़ नाटक आदि माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है, ताकि इस बीमारी को खत्म किया जा सके।

हमें आपको बताते अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी संस्था ने लखनऊ हाई कोर्ट में सिगरेट के सादे पैकेट के लिए जनहित याचिका दायर की थी ताकि युवा वर्ग जो रंगीन पैकेट से आकर्षित होता है उसे दूर रखा जा सके, वह चरम जीत चुके हैं। हमारी संस्था एक ऐसी पहली संस्था है जिसने इस वर्ष जम्मू - काश्मीर में आई भयंकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए न केवल राहत सामग्री पहुंचाई और स्वास्थ्य शिविर लगाए बल्कि दो गाँव कसूरी और पंजर भी अपनाए जहाँ पर लोगों ने अपने प्रियजनों के साथ घर और आजीविक के साधन भी गवाँ दिए थे। इन लोगों के लिए घर बनाने का हमने बीड़ा उठाया और अब तक 56 घर तैयार हो चुके हैं। हमारा यह प्रयास इन लोगों को जीवन की नई शुरुआत करने में मदद करेगा। हम

अपने हित चिंतकों के आभारी है और आशा करते है कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें पूरे जोश से काम करने की प्रेरणा देगा।

हमें जानने के लिए www.lovecarefoundation.org को देखें।



महिला सशक्तीकरण की दिशा मे एक पेशेवर कदम

FREE
Registration

- ✧ GharSeNaukri has over 30 Jobs providers from different verticals.
- ✧ Women from all walks of life are getting jobs in different domains.
- ✧ GharSeNaukri is all about options for women to choose jobs which fit their profile.
- ✧ GharSeNaukri offers interesting jobs for women to work from the comfort of their home.

GharSeNaukri is adding more offices in different cities of India!!!

क्या आप अपने लिए एक सफल करियर की तलाश कर रही हैं??

Few of our CLIENTS



अब कोई चिंता नहीं
हमारे पास है कई अवसर
@घर से नौकरी

TOP JOBS AVAILABLE

Online Tutoring | Content writers | Graphics Designers | Software Developers | Recruiters
Soft Skill Trainers | Data Entry | Telecalling | Social Media Marketing Experts...
...and many more

तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं???

process to enroll is simple...

Step 1 : Register yourself with GharSeNaukri.com (Free of cost)

Step 2 : Upload your CV/Resume on the website.

Step 3 : Work blissfully from home, boosting your income without stepping out of the house.

Let us know if you need further assistance.

Info@gharsenaukri.com | **+91-8802-360360** | www.GharSenaukri.com

IF You Are A Job Provider Contact us for Job Postings